(To be published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary) Government of National Capital Territory of Delhi, (Law, Justice and Legislative Affairs Department), 8th Level, C'Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002, Dated /4 February, 2002 No. F. 14(28)/IA-2000-2002//05

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President on 28.1.2002 and is hereby published for general information.

The Delhi Prisons Act, 200@ (Delhi Act No. 2 of 2002) (As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 23rd November, 2000)

to provide for the detention of prisoners committed to prison custody and for their reformation and rehabilitation with a view to ensuring safe detention and minimum standards of treatment of prison -ers consistent with the principles of dignity of the individuals and for matters connected therewith or incidental thereto.

AN


ACT

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty first Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

- Title, extent and commencement: (I) This Act may be called the 'Delhi 1 Prisons Act, 2000'.
 - It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi. (2)



- In this Act, unless the context otherwise requires, Definitions. (1)2.
 - "civil prisoner" means any prisoner who is not a criminal prisoners; (a)

"competent authority" means any officer having jurisdiction and due legal (b) authority to deal with a particular matter in question;

"convicted criminal prisoner" mear, any criminal prisoner under sentence of a court or court martial, and includes a person detained in prison under (c) the provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(d) "eriminal prisoner" means any prisoners duly committed to custody under the writ, warrant or order of any court or authority exercising criminal jurisdiction, or by order of a court martial;

(e) "court" includes a coroner and any officer lawfully exercising civil,

criminal or revenue jurisdiction;

(f) "dangerous prisoner" means any prisoner who is violently pre-disposed or likely to escape;

(g) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi.

- (h) "furlough" means leave as a reward granted to a convicted prisoner who has been sentenced to rigorous imprisonment for five years or more and has undergone three years thereof;
- (i) "Government" means the Lieutenant Governor referred in article 239AA of the Constitution;
- (j) "History ticket" means the ticket exhibiting such information as is required in respect of each prisoner by this Act or the rules thereunder;

(k) "Inspector General" means the Inspector General of Prisons;


- (1) "Lieutenant Governor" means the administrator of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;
- (m) "Medical Officer" means a gazetted officer of the Government and includes a medical practitioner declared by general or special orders of the Government to be a medical officer;
- (n) 'medical subordinate" means a qualified medical assistant.

(o) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(p) "parole system" means the system of releasing prisoners from prison on parole by suspension of their sentences in accordance with the rules;

) "prescribed" means prescribed by rules;

- "Frison" means any jail or place used permanently or temporarily under the general or special orders of the Government for the detention of prisoners, and includes all lands, buildings and appurtenances thereto, but does not include:-
- (i) any place for the confinement of prisoners who are exclusively in the custody of police;
- (ii) any place specially appointed by the Government under Section 417 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
- (iii) Any place which has been declared by the Government by general of special order to be a special prison;
- (s) "prohibited article" means an article, the introduction or removal of which into or out of, a prison is prohibited by any rule made under this Act;
- (t) "remission system" means the system or regulating the award of marks to, and the consequent shortening of sentence of, prisoner in prison;
- (u) "rules" means a rule for the time being in force, made under or in pursuance of, this Act;
- (v) "section" means a section of this Act;



- (w) "security prisoner" means any prisoner against whom there is a threat from any person;
- (x) "senior medical officer" means a medical officer senior to other medical officers posted in a prison;
- (y) "subordinate officer" means every non-Gazetted officer serving in the prison;
- (z) "Superintendent" means the officer who is appointed by the Government to be in charge of a prison with such designation as it may specify;
- (aa) "young offender" means a person who has attained the age of sixteen years in case of a boy and eighteen years in case of a girl, but has not attained the age of twenty one years.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in any other enactment applicable in Delhi shall have the meanings respectively assigned to them in those enactments.



CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND OFFICERS OF PRISONS

- 3. Accommodation in prisons: The Government shall provide in its jurisdiction accommodation in prisons constructed and regulated in such manner as to comply with the requisitions of this Act in respected of the separation of prisoners.
- 4. Power of State Government to Appoint Inspector General and Other Officers and staff: 1) The Government shall, by notification, appoint an Inspector General of Prisons to be in charge of the administration and management of all the prisons, in Delhi, who shall belong to IAS/IPS service.
 - The Government may also, by notification, appoint as many Additional, Joint, Deputy or Assistant Inspectors General of prisons as it may think fit or necessary to assist the Inspector General of Prisons in exercising the powers and performing the functions of the Inspector General under this Act.
 - The Government shall provide the necessary administrative staff in the headquarters and the regional offices of the Inspector General.
- 5. Inspector General: 1) The Inspector General shall exercise his powers and perform his functions under this Act subject to the general supervision and control of the Government, and the other officers appointed under this Act shall work under the general supervision, control and direction of the Inspector General and shall be responsible to him.

(2) The Inspector General shall be responsible for the allotment of work to the officers appointed under this Act and may delegate any of his functions to such officers.

Officers of Prisons: For every prison there shall be a Superintendent, a Deputy Superintendent a Medical Officer, a Law Officer, a Welfare Officer, and such other officers as the Government thinks it necessary.

7. Temporary Accommodation for Prisoners:

Whenever it appears to the Inspector General that:

- (a) the number of prisoners in any prison is greater than can conveniently or safely be kept therein and it is not convenient to transfer the excess number to some other prison;
- (b) from the outbreak of epidemic disease within any prison or for any other reason, it is desirable to provide for the temporary shelter and safe custody of any prisoners;

Provision shall be made, by such officer and in such manner as the Government may direct, for the shelter and safe custody in temporary prisons, of so many of the prisoners as cannot conveniently or safely be kept in the prison.

CHAPER III

DUTIES OF OFFICERS

- 8. Control and duties of officers of prisons:

 All officers of a prison shall obey the directions of the Superintendent; all officers subordinate to the Deputy Superintendent shall perform such duties as may be imposed on them by the Deputy Superintendent with the sanction of the Superintendent or be prescribed by rules under section 71.
- 9. Officers not to have business dealing with prisoners and others :

(8)

- (1) No officer of a prison shall sell or let, nor shall any person in trust or employed by him sell or let, or derive any benefit from selling or letting, any article to any prisoner or have any money or other business dealings, directly or indirectly with any prisoner.
- (2) No officer of a prison shall accept any gift from a prisoner or a person having any dealings with prison administration.
- 10. Officers not to be interested in prison contracts: No officer of a prison nor any person in trust or employed by him, shall have any interest, direct or indirect, in any contract for the supply to the prisons; nor shall be derive any benefit, directly or indirectly, from the sale or purchase of any article on behalf of the person or belonging to a prisoner.

SUPERINTENDENT

Superintendent and his residence in prison: (1) Subject to the orders of the Inspector General, the Superintendent shall manage the prison in all matters relating to discipline, labour, expenditure, punishment and control.

- (2) The Superintendent shall reside in the prison premises unless the Inspector General permits him in writing to reside elsewhere.
- 12. Records to be kept by Superintendent: The Superintendent shall keep or cause to be kept, the following records:-
 - (1) a register of prisoners admitted;
 - (2) a book showing when each prisoner is to be released;

(3) a punishment book for the entry of the punishments inflicted on prisoners for prison offences;

(4) a visitors' book for the entry of any observations made by the visitors touching any matters connected with the administration of the prison;

(5) a record of the money and other articles taken from prisoners; and all such other records as may be prescribed by rules made under section 71.

MEDICAL OFFICER

- 13. Duties of Medical Officer: Subject to the control of the Superintendent, the Medical Officer shall have charge of health and sanitary administration of the prisons. And shall perform such duties as may be prescribed by rules made by the Government under section 71.
- Medical Officer to report in certain cases: (1) Whenever the Medical Officer in charge of a prison has reason to believe that the mind of a prisoner is, or is likely to be injuriously affected by the discipline or treatment to which he is subjected, the Medical Officer shall report the case in writing to the Superintegent, together with such observations as he may think proper.
 - (2) The Medical Officer shall not administer any such medicine to any prisoner without informing him of what is being administered to him.



This report, with the orders of the Superintendent thereon, shall forthwith be sent to the Inspector General for information.

15. Report on death of prisoner:

- (1) On the death of any prisoner, the Medical Officer in charge shall forthwith record in a register the following particulars, so far as they can be ascertained, namely:-
- (a) the day on which the deceased first complained of illness or injury or he was observed to be ill or injured:
- (b) the labour, if any, on which he was engaged on that day;
- (c) the scale of his diet on that day;
- (d) the day on which he was admitted to hospital;
- (e) the day on which the Medical Officer was first informed of the illness or injury:
- (f) the nature of the disease and/or injury;
- (g) when the deceased was last seen before his death by the Medical Officer or medical subordinate;
- (h) when the prisoner died, and

- (i) an account of the appearances after death, together with any special remarks that appear to the Medical Officer to be required.
- (2) The report of such death shall forthwith be sent to the Superintendent and the Inspector General by the Medical Officer.
 - When the Superintendent or Inspector General receives information that a person has committed sucide, or has been killed by another, or by an accident, or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed on offence, he shall immediately give information thereof to the nearest Executive Magistrate empowered to hold inquests, in accordance with sub-section (4) of sections 174 and section 176 of the Code of Criminal procedure, 1973 (2 of 1974) and such Magistrate shall hold an inquiry into the cause of death.

DEPUTY SUPERINTENDENT

- 16. Deputy Superintendent to reside in prison: The Deputy Superintendent shall reside in the prison, unless the Inspector General permits him in writing to reside elsewhere.
- 17. **Deputy Superintendent to give notice of death prisoners:** Upon the death of a prisoner, Deputy Superintendent shall give immediate notice thereof to the Superintendent and the Medical Officer.
- 18. Responsibility of Deputy Superintendent: The Deputy Superintendent shall be responsible for the safe custody of the records to be kept under section 12 for the commitment warrents and all other documents confided to his care, and for the money and other articles taken from prisoners.

DVS

- Deputy Superintendent to be present at night: The Deputy Superintendent shall not be absent from the prison for a night without permission in writing from the Superintendent, but, if absent without leave for a night from unavoidable necessity, he shall immediately report the fact and the cause of it to the Superintendent.
- 20. Powers of Assistant Superintendent: An Assistant Superintendent shall, subject to the orders of the Superintendent, be competent to perform any of the duties, and be subject to all the responsibilities of a Deputy Superintendent under this Act or any rule made thereunder.

SUBORDINATE OFFICERS

21. Duties of gatekeeper: The officer acting as gatekeeper, or any other officer of the prison, may examine anything carried in or out of the prison, and

- may stop and search or cause to be searched any person suspected of bringing any prohibited article into or out of the prison, or of carrying out any property belonging to the prison, and, if any such article or property be found, shall give immediately notice thereof to the Deputy Superintendent.
- 22. Subordinate officer not to be absent without leave: Officers subordinate to Deputy Superintendent shall not be absent from the prison without leave from the Superintendent or from the Deputy Superintendent.
- 23. Utilisation of the services of prisoners: The Superintendent may utilise the service of prisoners, in accordance with the rules, for efficient management of the prison.

CHAPTER IV

ADMISSION, REMOVAL AND DISCHARGE OF PRISONERS

- 24. Prisoners to be examined on admission: (1) Whenever a prisoners is admitted in prison, he shall be searched, and all weapons and prohibited articles shall be taken from him.
 - (2) Every criminal prisoner shall also, after admission, be examined on the same day under the general or special orders of the Medical Officer, who shall enter or cause to be entered in a book, to kept by the Deputy Superintendent, a record of the state of prisoner's health, and of any wounds or marks on his person, the class of labour he is fit for if sentenced to rigorous imprisonment, and any observations which the Medical Officer thinks fit to add.

In the case of a female prisoner, the search shall be carried out by the matron and the medical examination by the female medical officer.

- 25. Effects of prisoners: All money or other articles in respect whereof no order of a competent court has been made, and which may, with proper authority, be brought into the prison by any criminal prisoner or brought to the prison for his use, shall be placed in the custody of the Deputy Superintendent.
- 26. Removal and discharge of prisoners: (1) All prisoners, before being removed to any other prison, shall be examined by the Medical Officer/female officer, as the case may be.
 - (2) No prisoner shall be removed from one prison to another unless the Medical Officer/Female medical officer certifies that the prisoner is free from any illness rendering him unfit for removal.
 - (3) No prisoner shall be discharged against his will from prison, if labouring under any acute or dangerous distemper, nor until, in the opinion of the Medical Officer/Female medical officer, such discharge is safe.
 - (4) The Superintendent may seek orders, as soon as possible from the court of Chief Metropolitan Magistrate regarding further detention of a prisoner whose release orders have been received in local cases and against whom

a production warrant from an outside court has been received by the Superintendent.

CHAPTER V

DISCIPLINE OF PRISONERS

27. Responsibility of Superintendent: The discipline in the Prison shall be maintained by the Superintendent firmly, fairly and in an equitable manner in accordance with the rules.

28. Separation of prisoners: The requisitions of this Act with respect to the

separation of prisoners are as follows:

(1) in a prison containing female as well as male prisoners, the females shall be imprisoned in separate buildings, or separate parts of the same building, in such a manner as to prevent their seeing, or conversing with the male prisoners;

(2) female prisoners convicted or charged for an offence under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) for any sexual or other offence involving grave moral depravity, shall be segregate from all other

types of female prisoners;

in a prison where a male prisoners under the age of twenty-one are confined, means shall be provided for separating them altogether from the other prisoner and for separating those of them who have arrived at the age of sixteen years but are below the age of eighteen years;

unconvicted criminal prisoners shall be kept apart from convicted

criminal prisoners;

(4)

civil prisoners shall be kept apart from cirminal prisoners; dangerous/security prisoners shall be kept separately; and detenus shall be kept apart.

all blood relation prisoners, separated on grounds of different sex, shall be allowed to meet each other once a week in presence of a jail officer.

- 29. Association and segregation of prisoners: Subject to the requirements of the last foregoing section, criminal prisoners may be confined either in association or individually in cells or partly in one way and partly in the other.
- 30. Prisoners under sentence of death: (1) Every prisoner under sentence of death shall, immediately on his arrival in the prison after sentence, be searched by, or by the order of, the Superintendent and all articles shall be taken from him which the Superintendent deems it dangerous or inexpedient to leave in his possession.
- (2) Every such prisoners under a finally executable sentence shall be confined in a cell apart from all other prisoners, and shall be placed by day and by night under the charge of a guard.

CHAPTER VI

FOOD, CLOTHING AND BEEDING OF CIVIL PRISONERS

- 31. Maintenance of certain prisoners from private sources: A civil prison shall be permitted to maintain himself, and to purchase, or receive from private sources at proper hours and days foods, clothing, bedding or other necessaries, but subject to examination and to such rules as may be approved by the Inspector General.
- Restriction on transfer of food and clothing between certain prisoners: No part of any food, clothing, bedding or other necessaries belonging to any civil prisoners and any prisoner transgressing the provisions of this section shall lose the privilege or purchasing food or receiving it from private sources, for such time as the Superintendent thinks proper.
- Supply of clothing and bedding to civil prisoners: Every civil prisoner unable to provide himself with sufficient clothing, bedding and other necessities shall be supplied with such clothing, bedding and other necessities as may be prescribed in the rules.

CHAPTER VII EMPLOYMENT OF PRISONERS

- 34. Employment of civil prisoners: (1) Civil Prisoners may, with the permission of the Superintendent, and subject to such restrictions as the Superintendent may impose, work and follow any trade or profession available in prison.
 - (2) Civil prisoners finding their own implements, and not maintained at the expense of the prison, shall be allowed to receive the whole of their earnings, but the earnings of such as are furnished with implements or are maintained at the determined by the Superintendent, for the use of implements and the cost of maintenance.
- 35. Employment of criminal prisoners: (1) A criminal prisoner desiring to be employed on labour, may be employed with the permission of the Superintendent subject to such restrictions as may be prescribed in the rules made under this Act.
- (2). No criminal prisoner sentenced to labour or employed on labour at his own desire shall, except on an emergency with the sanction in writing of the Superintendent, be kept to labour for more than nine hours in any one day.
- The Medical Officer shall from time to time examine the labouring prisoners while they are employed, and shall at least cice in every fortnight cause to be recorded upon the history ticket of each prisoner employed on labour the weight of such prisoner at the time.

- When the Medical Officer is of opinion that the health of any prisoner suffers from employment on any kind or class of labour, such prisoner shall not be employed on that labour but shall be placed on such other kind or class of labour as the Medical Officer may consider suited for him.
- 36. Employment of cirminal prisoners sentenced to simple imprisonment: Provision shall be made by the Superintendent for the employment (as long as they so desire) of all criminal prisoners sentenced to simple imprisonment. No such prisoners shall be punished for neglect of work.

CHAPTER VIII HEALTH OF PRISONERS

- 37. Sick prisoners: (1) The names of prisoners desiring to see the Medical Officer or medical subordinate or appearing out of health in mind or body shall, without delay, be reported by the officer in-charge of such prisoners, to the Deputy Superintendent.
 - (2) The Deputy Superintendent shall without delay, call the attention of Medical Officer or medical subordinate to any prisoner desiring to see him, or who is ill, or whose state of mind or body appears to require attention, and shall carry into effect all written directions given by the Medical Officer or medical subordinate respecting alternation of the discipline or treatment of any such prisoner.
 - Record of directions of Medical Officer: All directions given by the Medical Officer or medical subordinate in relation to any prisoner, with the exception of orders for the supply of medicines, or directions relating to such matters as are carried into effect by the Medical Officer himself or under his superintendence, shall be entered day by day in the prisoner's history ticket, or in such other record as the Government may by rule direct, and the Deputy Superintendent shall make an entry in its proper place stating in respect of each direction the fact of its having been or not having been complied with, accompained by such observations, if any, as the Deputy Superintendent thinks fits to make, and the date of the entry.
- 39. Hosptial: In every prison a hospital/dispensary or proper place for the reception of sick prisoners shall be provided.

CHAPTER IX INTERVIEWS AND LETTERS

- 40. INTERVIEWS: Due provision shall be made for the admission, at proper time and days and under proper restrictions, into every prison of person with whom prisoners may desire to communicate, care being taken that, so far as may be consistent with the interest of justice, prisoners may see their duly authorised and qualified legal practitioner without the presence of any other person.
- 41. Search of visitors: (1) The Deputy Superintendent may demand the name and address of any visitor to a prisoner, and when the Deputy Superintendent has any ground for suspicion, may search any visitor, or cause him to be searched, but the search shall not be made in the presence of any prisoner or of another visitor.
 - (2) In case of any such visitor refusing to permit himself to be searched, the Deputy Superintendent may deny him admission and the grounds of such record as the Government may direct.
- 42. Letters: (1) A prisoner shall have the facility of writing such number of letters to his relatives and friends as may be prescribed.
 - (2) A prisoner may be allowed to write any number of letters at his cost.
 - (3) The Superintendent shall examine every letter written by a prisoner and may ask the prisoner concerned to delete any portion of the letter which, in his opinion, is likely to endanger the security of the State or prison or contains false information about the affairs of the prison.
 - (4) The Superintendent shall examine every letter sent to any prisoner from outside and delete any portion thereof which, in his opinion, is likely to endanger the security of the State or prison before it is delivered to the prisoner.

The facility of writing letters is contingent on good conduct and may be withdrawn or postponed by the Superintendent on bad conduct.



CHAPTER X

OFFENCES IN RELATION TO PRISONS

Penalty for introduction or removal of, into or from prison and communication with prisoners: Whoever, contrary to any rule under section 71, introduces or removes or attempts by any means whatever to introduce or remove, into or from any prison, or supplies or attempts to supply to any prisoner, outside the limits of a prison, any prohibited article, and every officer or member of staff of a prison who, contrary to any such rule, knowingly suffers any such article to be introduced into or removed from any prison, to be possessed by any prisoner, or to be supplied to any prisoner outside the limits of a prison, and

whoever, contrary to any such rule, communicates or attempts to communicate with any prisoner, and whoever abets any offence made punishable by this section, shall, on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term not exceeding six months, or to fine not exceeding six months, or to fine not exceeding ten thousand rupees, or to both.

- Power to arrest for offence under section 43: When any person, in the presence of any officer of a prison, commits any offence specified in the last foregoing section and refuges on demand of such officer to state his name and residence or gives a name or residence, which such officer knows or has reason to believe, to be false, such officer many arrest him, and shall without unnecessary delay make him over to a police officer, and thereupon such police officer shall proceed as if the offence had been committed in his presence.
- Publication of penalties: The Superintendent shall cause to be affixed, in a conspicuous place outside the prison, a notice in official languages of Delhi setting forth the acts prohibited under section 43 and the penalties incurred by their commission.

CHAPTER XI

PRISON OFFENCES

46. Prison offences: The following acts are declared to be prison offences when committed by a prisoner:-



such willful disobedience to any regulation of prison as shall have been declared by rules made under section 71 to be a prison offence; any assault or use of criminal force;

willfully injures himself;

4) the use of insulting or threatening language;

- 5) immoral or indecent or disorderly behaviour;
- 6) willfully disabling himself from labour;

7) contumaciously refusing to work;

- 8) filing, cutting, altering or removing handcuffs, fetters or bars without due authority;
- 9) willful idleness or negligence of work by any prisoner sentenced to rigorous imprisonment;
- 10) willful mismanagement of work by any prisoner sentenced to rigorous imprisonment;

11) willful damage to prison property;

12) tampering with or defacing history tickets, records or documents;

13) receiving, possessing or transferring any prohibited article;

14) feigning illness;

15) willfully bringing a false accusation against any officer or prisoner;

omitting or refusing to report, as soon as it comes to his knowledge, the occurrence of any fire, any plot or conspiracy, any escape, attempt or preparation to escape, and any attack or preparation for attack upon any prisoner or prison official;

conspiring to escape, or to assist in escaping;

18) converting or attempting to convert a prisoner to a different religious faith or willfully hurting other' religious feelings beliefs and faith;

failing to assist, or preventing other persons from assisting prison officials in suppressing violence, assault, riot, mutiny, attack, gross personal violence, or in any other emergencies;

sending messages surreptitiously by writing or speech or signs;

21) participating in any riot or mutiny or abetting with another prisoner or prisoners to commit riot or mutiny;

stealing, damaging, destroying, disfiguring or misappropriating any prison property or prisoners' articles and property;

refusing to eat food or going on hunger strike;
Provided that this shall not be applicable to Male/Female prisoners on religious grounds and all possible facilities shall be extended to such prisoners in performance of their religious obligations.

cooking unauthorisedly inside the cell or any place inside the prison;

participating in, or organising of, unauthorised activities, like gambling, drinking, dealing in intoxicated articles and the like;

26) aiding or abetting the commission of any of the aforesaid offences; and,

any other unauthorised, unlawful or illegal act as may be specified in the rules.

Punishment of such prison offences: (1) The Superintendent may himself conduct or authorise an officer not below the rank of Deputy Superintendent to conduct an inquiry inside the prison of any person alleged to have committed an offence specified in section 46 and impose any of the following punishments:-



a formal warning, which shall be personally addressed to the prisoner by the Superintendent and recorded in the punishment book; forfeiture of remission up to a period of thirty days at any one time or, with the approval of the Inspector General, remove a prisoner from the remission system up to a period of six months;

Provided that the Inspector General shall have power to forfeit all earned, rendssions, other than remissions given by the Government, or to remove a prisoner from the remission system for the entire period of his imprisonment;

stoppage of recreational facilities upto a period of one month or canteen facilities upto a period of three months or stoppage of interviews for a period of one month:

in case of breaches and violations in conditions of release on parole or furlough, not counting the said period towards imprisonment;

e) segregation upto a period of three months, and with the sanction of the Inspector General, upto a period of six months;

f) separate confinement upto a period of one month at a time, and with the sanction of the Inspector General upto a period of three months subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation - Separate confinement means such confinement with or without labour as secludes a prisoner from communication with, but not from sight of other prisoners, and allows him not less than one hour's exercise per day and to have his meals in association with one or more other prisoners.

g) Cellular confinement for any period not exceeding fourteen days with the approval of Inspector General;

Provided that, after each period of cellular confinement, and interval of not less duration than such period must clapse before the prisoner is again sentenced to cellular confinement.

Explanation - Cellular confinement means such confinement with or without labour as entirely secludes a prisoner from communication with, but not from sight of, other prisoners.

While undergoing any of the punishments awarded under sub-section (1) above, the following privileges may, however, be extended to the prisoners, namely:-

(a) provision of letters and supply of religious and moral books as far as the rules of the prison provide;

(b) interviews with members of family of the prisoner may be granted in accordance with rules by the Superintendent except in case of punishment under clause (c0 of sub section 1 above.

Limitation to Award of punishment under section 47: (1) The Superintendent shall have power to award any of the punishments enumerated above;

Provided in the case of separate confinement for a period exceeding one month, the previous confirmation of the Inspector General shall be obtained.

(2) No officer subordinate to the Superintendent shall have power to award any punishment, whatsoever.

No punishment shall be imposed without judicial appraisal of Sessions Judge and where such intimation, on account of emergency, is difficult, such information shall be given within two days of the action.

(4) Any incident of serious or repeated misconduct by a prisoner facing trial may be intimated by the Superintendent to the trial court.

- Punishment to be in accordance with foregoing sections: Except by order of a Court of Law, no punishment other than the punishments specified in the foregoing sections shall be inflicted on any prisoner otherwise than in accordance with the provisions of those sections.
- Entries in punishment book: (1) In the punishment book prescribed in section 12, there shall be recorded, in respect of every punishment inflicted, the prisoner's name, register number and the class (whether habitual or not) to which he belongs, the prison offence of which he was guilty, the date on which such prison offence was committed, the number of previous prison offences recorded against the prisoner, and the date of his last prison offence, the punishment awarded, and the date of infliction.
 - (2) In the case of every serious prison offence, the names of witnesses and substance of their evidence, the defence of the prisoner, and the finding with the reasons therefore, shall be recorded.
 - (3) Against the entries relating to each punishment, the Deputy Superintendent and Superintendent shall affix their initials and evidence of the correctness of the entries.
- 51. Procedure on committal of hainous offence: (1) If any prisoner is guilty of any offence against prison discipline which, by reason of his having frequently committed such offences or otherwise, in the opinion of the Superintendent, is not adequately punishable by the infliction of any punishment, which he has power under this Act to award, the Superintendent may forward such prisoner to the Court of the Chief Metropolitan Magistrate or of any Metropolitan Magistrate having jurisdiction, together with a statement of the circumstance and such Magistrate shall thereupon inquire into and try the charge so brought against the prisoner, and, upon conviction, may sentence him to imprisonment which may extend to one year, such term to be in addition to any term for which such prisoner was undergoing imprisonment when he committed such offence, or may sentence him to any of the punishments enumerated in section 47;

Provided that any such case may be transferred for inquiry and trial by the Chief Metropolitan Magistrate to any Metropolitan Magistrate.

- (2) No person shall under sub section (1) above be punished twice for the same offence.
- officer of a prison subordinates: (1) Every Deputy Superintendent or officer of a prison subordinate to him who shall be guilty of any violation of duty or willful breach, or neglect of any rule or regulation or lawful order made by competent authority, or who shall withdraw from the duties of his office without permission, or who shall willfully overstay any leave granted to him, or who shall engage without authority in any employment other than his prison duty, or who shall be guilty of cowardice, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding ten thousand rupees, or to imprisonment for a period not exceeding six months, or to both.
- (2) No person under sub section (1) above shall be punished twice for the same offence.

- 53. Procedure for conducting enquiries for the award of punishment: (1) No prisoner shall be awarded any punishment under section 47 unless he has been informed of the offence alleged against him and given a reasonable opportunity of being heard in his defence;
- (2) No prisoner shall be punished twice for the same offence;
- Subject to the provisions of sub-section (1) and (2) above, the Superintendent may follow such procedure, for the holding of inquires, including framing of charges against a prisoner, segregation of prisoners, pending inquiry, medical examination in case of inquiries, conduct of the inquiry and other matters regarding requests for appeal or revision, as may be prescribed;
- Where the act of the prisoner is an offence punishable under this Act and under the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or any local or special enactments, it shall be in the discretion of the Superintendent to deal with the case himself or send it to the concerned Magistrate.

Provided that where the offence committed is a cognizable offence punishable with imprisonment for a term of three years or above, he shall initiate proceedings for the offender.

Punishment for not fulfilling conditions subject to which remission, etc. was given: (1) Where any prisoner fails without sufficient cause to observe any of the conditions on, or subject to, which his sentence was remitted or suspended, or he was released on parole or furlough, the competent authority may cancel such order granting remission, suspension, or parole or furlough, and —

if the prisoner is at large, he shall be arrested by any police officer without a warrant and remanded to undergo the unexpired portion of his sentence; shall, on conviction by a Court, be punishable, in addition to the sentence he is undergoing, with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine, or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (1) except with the previous sanction of the Government or the authority which ordered the suspension, remission, parole, or furlough, as the case may be.

CHAPTER XII

SAFE/COSTODY AND SECURITY OF PRISONERS

- 55. Liability to provide safe custody and security of prisoners: (1) The Superintendent shall be responsible to undertake effective measures to ensure safe custody and security of prisoners.
- (2) Confinement in iron with the permission of the court: Whenever the Superintendent has reason to believe that a prisoner is likely to jump prison or

break out of the custody in view of his proneness to violence or his tendency to escape or his being so dangerous or desperate that no other practicable way of preventing his escape is available except by confirming him in orphans, he may so confine him with the permission of the court.

Use of handcuffs and fetters in emergent situation: In emergent situations, it shall be open to the Superintendent to use handcuffs and fetters to secure any prisoners for reasons to be recorded in writing and under intimation to the District and Sessions Judge within twenty four hours of using such handcuffs or fetters.

Prisoners exempted from imposition of handcuffs and fetters :-

No handcuffs and fetters shall be imposed in respect of :-

- (i) Female prisoners;
- (ii) civil prisoners; and
- (iii) Prisoners who are aged, physically infirm or seriously ill.



(3)

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

Redressal of grievances of prisoners: (I) For the purpose of receiving grievances from the prisoners and for the redressal of any such grievance, a Grievance Redressal Committee may be appointed for each prison with the following, namely:-

(a) Superintendent

Chairman

(b) Deputy Superintendent

Member

(c) Medical Officer Member (d) Welfare Officer Member

(2) The Grievance Redressal Committee shall meet at least once a month to deal with petitions and representations from prisoners and it shall follow such procedure for the examination of such petitions or representations as may be prescribed.

(3) Any prisoner aggrieved by the decision of the Grievance redressal Committee may appeal to the Deputy Inspector General within thirty days

from the date of communication of such decision.

(4) Notwithstanding anything herein before contained, every prisoner shall be afforded full opportunity to make a complaint to the Inspector General or the District and Sessions Judge, who shall prescribe a mechanism for the redressal of such complaints.

(5) There shall be a Prison Advisory Board to advise the Govt. on the general

governance of the Jail in the manner as prescribed in rules.

- 58. Prohibition of strikes, etc.: No person employed in the prison shall have any right to form any union or join any such union either inside or outside the prison for any purpose or for making or pressing any demands to strike or start or continue any agitation inside the prison for achieving any request or demand.
- 59. Extramural custody, control and employment of prisoners: A prisoner, when being taken to or from any prison in which he may be lawfully confined, or whenever he is working outside or is otherwise beyond the limits of any such prison in or under the lawful custody or control of a prison officer belonging to such prison, shall be deemed to be in prison and shall be subject to all directions and discipline as if he were actually in prison.
- 60. Review of cases of criminal prisoners: (1) The Government shall cause to be reviewed the cases of under trial prisoners detained in the prison for more than one year or in case when the detention is more than half of the maximum punishment for the offence provided under the law.

The Government shall ensure that no undertrial is detained in prison for a period exceeding the maximum period of punishment provided for the offence, or

offences as the case may be, for which he has been detained.

Use of minimum force: (1) For controlling any incident of rioting, any officer of the prison shall use as little force, and do as little injury to a person as may be consistent with restoring order and detaining such person.

Any officer of the prison may use minimum force against any prisoner escaping or attempting to escape, or using violence against any official of the prison or any

other person.

Legal aid: The Government shall endeavour to provide free legal aid for the

prisoners.

15

62.

Rehabilitation of prisoners: The Government shall endeavour to undertake measures towards the rehabilitation of prisoners.

- 64. Persons of unsound mind: No person of unsound mind other than a criminal shall be kept in prison.
- 65. Protective custody: No person entitled to protective custody shall be kept in the prison.
- 66. Accounts and audit: The accounts of every prison shall be maintained and audited in such manner as may be prescribed by the Government.
- 67. Training of prison officials: (1) The Government shall provide training to all prison officials to refresh them about the responsibilities and rights of prisoners.
 - (2) The duration and syllabus of such training shall be prescribed by the Government.
- 68. Delegation of powers: Any of the powers conferred by this Act on the State Government may be exercised and performed by such officers as the State Government may designate in this behalf.
- 69. Exercise of powers of Superintendent and Medical Officer: All or any of the powers and duties conferred and imposed by this Act on a Superintendent or Medical Officer may, in his absence, be exercised and performed by such other officers as the Government may appoint in this behalf either by name or by his official designation.
- 70. Protection of action taken in good faith: No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any functionary of the Government in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules made or orders or directions issued thereunder or acting in accordance with the provisions of sub-section (1) and (20 of section 60.
- 71. Powers of Government to make rules: (1) The Government may make rules generally to carryout the Provisions of this Act.
 - In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - Defining the acts which shall constitute prison offences;
 - Determining the classification of prison offences into serious and minor offences;
 - (iii) Fixing the punishments admissible under this Act which shall be awardable for commission of prison offences or classes thereof;
 - (iv) Declaring the circumstances in which acts constituting both a prison offence and an offence under the Indian penal Code, 1860 (45 of 18600 may or may not be dealt with as a prison offence;
 - (v) For the award of marks and the shortening of sentences;
 - (vi) Regulating the use of force against any prisoner or body of prisoners in the case of a riot, outbreak or attempt to escape;

Defining the circumstances and regulating the conditions under which (vii) prisoners in danger of death may be released; (viii)

For the classification of prisons, and description and construction of wards, cells and other places of detention;

- (ix)For the regulation by numbers, length or character of sentence, or other wise, of the prisoners to be confined in each class of prisons; (x)
- For the governance of prisons and for the appointment of officers under
- As to the food, bedding and clothing of criminal prisoners and of civil (xi) prisoners maintained otherwise than at their own cost; (xii)
- For the employment, instruction and control of convicts within or without (xiii)
- For defining articles, the introduction or removal of which into or out of prisons without due authority is prohibited; (xiv)
- For regulating the disposal of the proceeds of the employment of (xv)
- For regulating the disposal of the proceeds of the employment of
- For adopting measures to bring about coordination between various (xvi) departments of the Government for upkeep, maintenance, welfare of the prisoners and for dealing with contingencies;
- (xvii) For the classification and the separation of prisoners;
- (xviii) For regulating the confinement of convicted criminal prisoner under (xix)
- For the preparation and maintenance of history tickets; (xx)
- For rewards for good conduct;
- For regulating the transfer of prisoners whose term of imprisonment is (xxi)about to expire subject, however, to the consent of the Government of any other State or Union Territory to which a prisoner is to be transferred; (xxii)
- For the treatment, transfer and disposal of mentally ill criminals confined
- (xxiii) For regulating the transmission of appeals and petitions form prisoners and the communication with their friends;
- (xxiv) For the appointment and guidance of visitors of prisons;
- (xxv) For extending any or all of the provisions of this Act and of the rules thereunder to subsidiary prisons or special places of confinement appointment under section 417 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) and to the officers employed, and the prisoners confined,
- (xxvi) In regard to the admission, custody, employment, diet, treatment and release of prisoners;
- (xxvii) For periodic review of cases of criminal prisoners detained in prisons for more than one year and in cases when the detention is more than half of the maximum punishment for the offence;
- (xxviii)For providing legal aid to prisoners;

(xxix) For recruitment, training, conduct, punishment and appeal relating to the officials of the prisons;

(xxx) For the grant of parole, furlough and leave to prisoners;

(xxxi) For the temporary release, suspension and remission of sentence of prisoners; and

(xxxii) Generally for carrying into effect the purpose of this Act.

- (3) Every rule made by the Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while It is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be sithout prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- 72. Exhibition of copies of Rules: Copies of rules under section 71 so far as they affect the governance of prisoners, shall be exhibited both in English and in official languages of the Delhi in some place to which all persons employed within the prison have access.

73. Repeal and savings: (1) The Prisons Act, 1894 (IX of 1894) in its application to Delhi is hereby repealed.

Notwithstanding the repeal by this Act of the Prisons Act, 1894 referred to in sub-section (1) above, all rules, regulations orders, directions, notifications relating to the prison administration in Delhi, made under the Prisons act, 1894 and in force immediately before the commencement of this Act shall, except where and so far as they are inconsistent with or repugnant to the provisions of this Act, continue in force until altered, amended or repealed by rules made under this Act.

74. Power to remove difficulties: (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or take such measures, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) The Government may make an order under sub-section (1) to have effect from any date not earlier than the date of the commencement of this Act.

(3) An order made under sub-section(1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi.

Under Secretary (Law (& Judl.).

Under Secretary (Law (& Judl.).

Govt. of Delbi.

Govt. of Judl. Deptt.)

(Law & Judl. Deptt.)

Delbi Sachivaleye.

New Delbi.

१दिल्ली राजपत्र भाग−4 १ुंअसाधारणा १ में प्रकाशानार्थ १ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, १विधि, ऱ्याय एवं विधायी कार्य विभाग्}, 8वा तल, "सी "खण्ड, दिल्ली सिच्चालय, नई दिल्ली -! 10002

संख्या: फा • 14 र्थ 28 र्विधायी कार्य-2000-2002/105 दिनांक /4 फरवरी, 2002

राष्ट्रपति की दिनांक 28.1.2002 को मिली अनुमति के पश्चाद विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिसित अधिनियम जनसाधारणा के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

दिल्ली कारागार अधिनियम,2002 (दिल्ली अधिनियम संख्या:2 वर्ष,2002) १राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 23 नवम्बर, 2000 को यथा पारित 8 किरोष स्थिति में कारागार अभिरक्षा में रहे बंदियों की नजरबंदी के लिए निरापद नजरबं-दी और व्यक्ति प्रतिष्ठा के सिदाती के अनुस्य बंदियों के उपचार के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके सुधारा एवं पुनर्वास के लिए इससे सम्बद्ध या प्रासंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के इक्यावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित

रूप से अधिनियमित हो :-अध्याय - I प्रारम्भिक इस अधिनियम को दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 10 शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ। 1. (1) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित (2)होगा। यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो सरकार शासकीय (3)राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 15 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन 2. (1) परिभाषाएं। अधिनियमों में-"दियानी बंदी" का अर्थ कोई बंदी, जो फौजदारी बंदी "सक्षम प्राधिकरण" का अर्थ सम्बद्ध विषय विशेष से 20 (ख) निपटने के लिए क्षेत्राधिकार एवं यथोचित कानूनी प्राधिकरण रखने वाला कोई अधिकारी;

"सिद्ध दोष फौजदारी बंदी" का अर्थ किसी न्यायालय (ग) या कोर्ट मार्शल के दण्ड के अन्तर्गत कोई फौजदारी बंदी तथा इसमें दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 (1974 का 2) के अष्टम अध्याय के उपबंधों के अन्तर्गत कारागार में नजरबंद कोई व्यक्ति;

25

30

35

40

"अपराधिक बंदी" का अर्थ किसी न्यायालय अथवा दण्डित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण की रिट, वारंट या आदेश के अन्तर्गत अथवा किसी न्यायलय मार्शल के आदेश से हिरासत में रखने हेतु विधिवत् सिद्धदोष किसी वंदी से है;

"न्यायालय" में सम्मिलित है कोई मृत्यु समीक्षक तथा दीवानी, फौजदारी या राजस्य क्षेत्रधिकार का विधिपूर्वक प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी;

"खतरनाक बंदी" का अर्थ कोई बंदी, जो हिंसक हो सकता है, या भाग सकता है;

"दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से (B) 81

"फरलो या रुखसत" का अर्थ किसी सिद्धदोष बंदी, (ज) जिसे पाँच वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास की सजा दी गई है एवं वह इसमें से तीन वर्ष की सजा काट चुका है, को पुरस्कार के रूप में मिली छुड़ी से है।

(झ)	"सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छे 239 कक में संदर्भित उपराज्यपाल से है;	
(퍼)	"हिस्ट्री टिकट" क अर्थ इस अधिनियम या इसके	
	अन्तर्गत बनाए नियम द्वारा प्रत्येक बंदी के संबंध में	
	यथा अपेक्षित ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने वाली	5
	टिकट से है;	•
(ट)	"महानिरीक्षक" का अर्थ महानिरीक्षक कारागार से है;	
(ਰ)	"उपराज्यपाल" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239	
	के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली राष्ट्रीय	
	राजधानी के प्रशासक से है;	10
(ভ)	''चिकित्सा अधिकारी'' का अर्थ सरकार के किसी	
	राजपत्रित अधिकारी से है और इसमें सरकार के	
	सामान्य या विशेष आदेश से घोषित कोई चिकित्सा	
	व्यवसायी–कोई चिकित्सा अधिकारी होगा;	
(ढ)	"चिकित्सा अधीनस्थ" का अर्थ किसी योग्य चिकित्सा	15
	सहायक से हैं:	
(nl)	"अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित	
	किसी अधिसूचना से है;	
(त)	''पैरोल रिाहई पद्धति'' नियमानुसार बंदियों का दण्ड	
N S	स्थागित रखकर कारावास से पैरोल पर उनको रिहा	20
	करने की पद्धति से है;	
(왼)	"निर्धारित" का अर्थ नियमों द्वारा निर्धारित है;	
(द)	''कारावास'' का अर्थ बंदियों की नजरबंदी के लिए	
	सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार	
	स्थायी या अस्थायी रूप में प्रयुक्त किसी जेल या	25
	स्थान से है और इनमें सारी भूमि, भवन तथा इसके	
	उपांग शमिल हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल	
	नहीं हैं :	
(1)	पुलिस की हिरासत में विशेष रूप से रखे बंदियों को	
	बंद करने का स्थान;	30
(2)	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा	
()	417 के अनुसारा विशेष रूप से नियत कोई स्थान;	
(3)	कोई स्थान, जो सरकार के सामान्य या विशेष आदेश	
	द्वारा विशेष कारागार घोषित किया गया है;	
(ધ)	''प्रतिबंधित वस्तु'' का अर्थ कोई वस्तु, जिसे इस	35
('/	अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम द्वारा,	
	किसी कारागार के अंदर या बाहर लाने या हटाने पर	
	प्रतिबंधित है।	
(न)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
19	चिन्ह देने की पद्धति या चिन्ह प्रदान करने का विनियमन	40
	करना तथा तत्पश्चात् उसका दण्ड कम करना है;	
(Y)		
('/	इस अधिनियम के अन्तर्गत या के अनुसरण में बनाया	
	गया हो;	
	o × 10 €	

- (फ) ''घारा'' का अर्थ इस अधिनियम की कोई धारा से है;
- (ब) "सुरक्षित बंदी" का अर्थ कोई बंदी, जिसे किसी व्यक्ति की धमकी मिल हुई है;
- (भ) "वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी" का अर्थ किसी कारावास में तैनात अन्य चिकित्सा अधिकारियों में से कोई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से है;

5

10

15

- (म) "अधीनस्थ अधिकारी" का अर्थ कारावास में सेवारत प्रत्येक गैर राजपत्रित अधिकारी से है;
- (य) "अधीक्षक" का अर्थ ऐसे अधिकारी से है जो सरकार द्वारा कारागार प्रभारी के रूप में ऐसे पदनाम से, जिसे वह उल्लेखित करें, नियुक्त किया जाता है;
- (र) "युवा अपराधी" का अर्थ कोई व्यक्ति, जो लड़के की रिश्वति में सोलह वर्ष का हो गया है और किसी लड़की के मामले में अठारह वर्ष की आयु की हो गयी हो, लेकिन इक्कीस वर्ष न हुई हो;
- 2. इसमें प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन दिल्ली में लागू अन्य कानूनों में परिभाषित है, उनका अर्थ वही होगा, जो कानूनों में उन्हें क्रमशः प्रदान किया गया है।

अध्याय - II स्थापना एवं कारागार के अधिकारीगण

रथापना	एवं	कारा	गार के अधिकारीगण	
	3.		सरकार अपने क्षेत्र में निर्मित कारागारों में आवास	
			उपलब्ध कराएगी ताकि बंदियों का अलग करने	
			संबंधी इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन हो	
			सके।	
महनिरीक्षक तथा अन्य	4.	(1)	सरकार शासकीय अधिसूचना द्वारा दिल्ली में स्थित	5
और स्टॉफ की नियुक्ति के			सभी कारागारों के प्रशासन तथा प्रबंधन के प्रति	
लिए राज्य सरकार की शक्ति	ı		उत्तरदायी के लिए एक महानिरीक्षक कारागार की	
लिए राज्य राज्यार वर्ग राज्या	•		नियुक्ति करेगी तथा यथाविनिर्दिष्ट उसका पद्नाम	
			होगा।	
		(2)	सरकार इस अधिनयम के अनुसार महानिरीक्षक की	10
		(-)	शक्तियों के प्रयोग के लिए तथा उसके कर्त्तव्यों के	
			निष्पादन में सहायता के लिए यथावश्यक अतिरिक्त	
			संयुक्त, उप या सहायक महानिरीक्षकों की नियुक्ति	
			भी करेगी।	
		(2)	सरकार मुख्यालय तथा महानिरीक्षक के क्षेत्रीय कार्यालय	15
		(3)	में आवश्यक प्रशासनिक स्टॉफ उपलब्ध करायेगी।	
			महानिरीक्षक सरकार के सामान्य पयर्वेक्षण एवं नियंत्रण	
महानिरीक्षक।	5.	(1)	के अधीन इस अधिनियमों के अनुसार अपनी शक्तियों	
			का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का निष्पादन करेंगे, तथा इस	
				20
			अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अन्य अधिकारीगण	20
			महानिरीक्षक के सामान्य पयर्वेक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों	
			के अनुसार कार्य करेंगे तथा उसके प्रति उत्तरदायी	
			होंगे।	
		(2)	महानिरीक्षक इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त	
			अधिकारियों के बीच कार्य आबंटन के प्रति उत्तरदायी	25
			होंगे और ऐसे अधिकारियों को वह अपने कर्त्तव्य सौंप	
			सकते हैं।	
कारागार के अधिकारीगण।	6.		प्रत्येक कारागार के लिए एक उप-अधीक्षक, एक	
			चिकित्सा अधिकारी, एक विधि अधिकारी, एक कल्याण	
			अधिकारी होंगे और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे, जो	30
			सरकार आवश्यक समझती है।	
बंदियों के लिए अस्थायी	7.		जब महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता हो कि :-	
आवास।		(ক)	किसी कारागार में सुविधापूर्वक या सुरक्षापूर्वक रखे	
on quality.			जाने वाले बंदियों की तुलना में बंदियों की संख्या	
			अधिक है और किसी अन्य कारागार में फालतू बंदियों	35
			को स्थानान्तरण करना सुविधाजनक नहीं है;	
		(ख)	०० ने भीन ना ना नेता है। जाता है	
		(5)	या किसी अन्य कारण के लिये, कुछ बंदियों का	
Section 1			अस्थायी शरण देना और निरापद अभिरक्षा करना	
			वांछनीय है;	40
			तो ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से प्रबंध किया	
			जाएगा जैसा सरकार निर्देश दे तथा कारागार में	
			सुविधापूर्वक या सुरक्षापूर्वक न रखे जाने वाले इतने	
			अधिक बंदियों के अस्थायी कारागार में शरण तथा	
			निरापद् अभिरक्षा के लिये प्रबंध किया जाएगा।	45
			ווולואל מוחומו אי ונוא אשה וחידו שווי ווו	

अध्याय - III अधिकारियों के कर्त्तव

	अधिकारि	रेयों के कर्त्तव्य	
नियंत्रण एवं कारागारों के	8.	किसी कारागार के सभी अधिकारीगण अधीक्षक के	
अधिकारियों के कर्त्तव्य।		निर्देशों का पालन करेंगे; उप-अधीक्षक के अधीनस्थ	
		सभी अधिकारीगण धारा 71 के अनुसार नियमों द्वारा	
		निर्धारित अथवा अधीक्षक की स्वीकृति सं	
		उप–अधीक्षक द्वारा उन्हें सौंपे गए यथानियत कर्त्तव्य	5
		का पालन करेंगे।	
अधिकारीगण बंदियों तथा	9. (1)	किसी कारागार का कोई भी अधिकारी किसी भी	
अन्य व्यक्तियों के साथ		बंदी को कोई वस्तु बेचेगा या किराये पर नहीं देगा	
व्यापारिक लेनदेन नहीं		और उसके द्वारा तैनात या विश्वसनीय किसी व्यक्ति	
करेंगे।		को बेचे या किराये पर नहीं देगा अथवा बेच कर या	10
		किराए पर देकर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं	
		करेगा अथवा क़िसी बंदी के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः	
		किसी धनराशि का लेनदेन या अन्य व्यापारिक लेनदेन	
		नहीं करेगा। किसी कारागार का कोई अधिकारी किसी	
		व्यक्ति या कारागार प्रबंधन के साथ लेनदेन करने	15
		वाले किसी व्यक्ति से कोई उपहार प्राप्त नहीं करेगा।	
कारागार संविदा में	10.	किसी कारागार का कोई अधिकारी या उसके द्वारा	
अधिकारीगण रुचि		नियुक्त या विश्वसनीय कोई व्यक्ति कारागारों में पूर्ति	
नहीं लेंगे।		करने के लिए किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः	
	5.0	किसी प्रकार की रुचि नहीं लेगा अथवा कारागर की	20
		ओर से अथवा किसी बंदी से सम्बद्ध किसी वस्तु की	
		खरीद या बिक्री से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी	
	0	प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा।	
λτοθο	अधीक्षक		
अधीक्षक तथा कारागार में	11. (1)	महानिरीक्षक के आदेशों के अनुसार अधीक्षक	
उसका आवास।		अनुशासन, श्रम, व्यय, दण्ड तथा नियंत्रण से सम्बद्ध	25
		सभी विषयों का प्रबन्धन करेगा।	
	(2)	महानिरीक्षक से कहीं ओर रहने की लिखित अनुमति	
archer and and		मिलने तक अधीक्षक कारागार परिसर में आवास रखेगा।	
अधीक्षक द्वारा रखे जाने वाला अभिलेख।	12.	अधीक्षक निम्नलिखित अभिलेख रखेगा या रखाएगाः—	
पाला आमलखा	(1)	दाखिल बंदियों का रिजस्टर;	30
	(2)	रिहा किए जामें वाले प्रत्येक बंदी की पुस्तिका;	
	(3)	कारागार अपराधों के लिए बंदियों को दिये दण्ड की	
	(4)	प्रविष्टि के लिए एक दण्ड पुरितका; कारागार प्रबंध से सम्बद्ध किन्हीं मामलों के बारे में	
	(4)	आगुन्तकों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की प्रविष्ट	2.5
		हेतु एक आगुन्तक पुरितका;	35
	(5)	बंदियों से प्राप्त धनराशि तथा अन्य वस्तुओं का अभिलेख;	
	(5)	तथा धारा 71 के अनुसार बनाए गए नियमों द्वारा यथा	
		निर्धारित ऐसे सभी अन्य अभिलेख।	
		5. Aug an an 71 71 711 131 39 1	

	चिकित्स	ग अधिकारी	
चिकित्सा अधिकारी	13.	अधीक्षक के नियंत्रणाधीन चिकित्सा अधिकारी कारागार	
के कर्त्तव्य।		के स्वास्थ्य और सफाई प्रबंध की देखरेख का प्रभारी	
		होगा और धारा 71 के अन्तर्गत शासन द्वारा बनाए	
		गए नियमों द्वारा यथानिर्धारित कर्त्तव्यों का पालन	
		करेगा।	, 5
कुछेक मामलों में चिकित्सा	14.	जब किसी कारागार के प्रभारी अधिकारी के पास	
अधिकारी रिपोर्ट करेंगें।		विश्वास करने का आधार है कि किसी बंदी का	
		अनुशासन या आचार, जिसके अधीन वह है, से मन	
		पर आघात हो सकता है या हो सकने की सम्भावना	
		है तो चिकित्सा अधिकारी यथोचित टिप्पणियों सहित	10
		अधीक्षक को लिखित में मामला सूचित करेगा। इस	
		रिपोर्ट तथा इस पर अधीक्षक की टिप्पणियाँ महानिरीक्षक	
		को तत्काल सूचित की जाएगी।	
बंदी की मृत्यु पर रिपोर्ट।	15. (1)	किसी बंदी की मृत्यु पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	
14. 11. 2.3	The state of the s	निम्नलिखित विवरण, जहाँ तक उन्हे निश्चित पता	15
		लगाया जा सके, एक रजिस्टर में तत्काल अभिलेखबद्ध	
		करेगा, अर्थात् :	
	(ক)_	जिस दिन मृतक ने पहली बार रुग्णता या चोट की	
	. ,	शिकायत की थी अथवा वह रोगग्रस्त या चोटग्रस्त	
		देख गया था;	20
	(ख)	उस दिन श्रम कार्य पर उसे लगाया गया था;	
	(ग)	उस दिन उसे परोसे गए भोजन की मात्रा;	
	(ঘ)	जिस दिन उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था;	
	(ভ)	रोग और/अथवा चोट का स्वरूप;	
	(च)	उसकी मृत्यु से पूर्व जब मृतक चिकित्सा अधिकारी	25
		द्वारा अथवा अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा देखा	
		गया था;	
	(छ)	बंदी की मृत्यु कब हुई और	
	(ज)	मृत्यु के पश्चात् वह कैसा दिखाई देता था इसके	
		साथ कुछ विशेष टिप्पणियाँ सहित उसका विवरण जो	30
		चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी।	
	(2)	ऐसी मृत्यु की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा	
		अधीक्षक तथा महानिरीक्षक को तत्काल भेजी जाएगी।	
	(3)	जब अधीक्षक या महानिरीक्षक सूचना प्राप्त करता है,	
		कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी	35
		अन्य द्वारा अथवा किसी दुघर्टना द्वारा मार दिया गया	
		है अथवा किसी तर्कसंगत संदेह को बढ़ाने वाली	
		परिस्थितियों में मृत्यु हुई है या किसी अन्य व्यक्ति ने	224
		अपराध किया है, वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	::
		(1974 का 2) की धारा 174 की उपधारा 4 तथा	40
		धारा 176 के अनुसार जाँच करने के लिए सशक्त	
		नजदीकी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना तत्काल	
		देगा और ऐसा मेजिस्ट्रट मृत्यु के कारण की जांच	

करेगा।

	उपः	अधीक्षक	
उपअधीक्षक का कारागार	16.	उपअधीक्षक महानिरीक्षक द्वारा उसे लिखित रूप में	4
में निवास।		किसी दूसरे स्थान पर रहने की अनुमति मिलने तक	1
יין ויין ויין ויין ויין ויין ויין ויין		कारागार में निवास करेगा।	
उपअधीक्षक द्धारा बंदियों के	17.	किसी बंदी की मृत्यु के उपरांत उपअधीक्षक इसकी	2.8 新加
	1.7.	सूचना अधीक्षक तथा चिकित्सा अधिकारी को तत्काल	•5
मृत्यु की सूचना देना।		देगा।	
·	10	उपअधीक्षक गिरफ्तारी वारंट तथा उसके पास सुरक्षित	1873
उपअधीक्षक का दायित्व।	18.	सभी अन्य प्रलेखें के लिए तथा बंदियों से प्राप्त	構物
		धनराशि तथा अन्य वस्तुओं के लिए धारा 12 के	
		अन्तर्गत रखे जाने वाले अभिलेख की निरापद अभिरक्षा	10
		के प्रति उत्तरदायी होगा।	
	.100	उपअधीक्षक अधीक्षक से लिखित अनुमति लिए बिना	
उपअधीक्षक की रात्रि उपरिथति।	19.	उपजिधासक अधारक से लिखर अनुभार गरि वह	
		रातभर कारागार से अनुपरिथत नहीं रहेगा। यदि वह	
	i.	अपरिहार्य आवश्यकता के कारण रातभर छुट्टी लिए	15
		बिना अनुपरिधत रहता है, तो वह तत्काल	13
		अधीक्षक को वस्तुस्थिति तथा इसका कारण सूचित	
		करेगा।	
सहायक अधीक्षक	20.	अधीक्षक के आदेशानुसार कोई सहायक अधीक्षक	
की शक्तियाँ।		किन्हीं कर्त्तव्यों को पालन करने के लिए समर्थ होंगा	
e ,		और इस अधिनियम तथा इसके अधिन बनाए किसी	20
		नियम के अनुसार उपअधीक्षक के सभी दायित्वों का	
		पालन करेगा।	12 T 1
	अधीन	रथ अधिकारी	
द्वारापाल के कर्त्तव्य।	21.	द्वारपाल के रूप में कार्य कर रहा अधिकारी अथवा	
2 100 com (100 com (1		कारागार का कोई अन्य अधिकारी कारागार में ले	25
		जाई गई या बाहर लाई गई वस्तु की जांच कर	
		सकता है तथा कारागार के भीतर या बाहर किसी	
		प्रतिबंधित वस्तु को ला रहे किसी संदेहस्पद व्यक्ति	
		अथवा कारागार से सम्बद्ध किसी सम्पत्ति को बाहर	
		ला रहे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है अथवा और	30
		यदि ऐसी कोई वस्तु या सम्पत्ति पायी जाए तो इसकी	
		सूचना उपअधीक्षक को देगा।	
अधीनस्थ अधिकारी छुट्टी	22.	उपअधीक्षक के अधीनस्थ अधिकारीगण अधीक्षक	
के बिना अनुस्थित न रहे।		या उपअधीक्षक से छुट्टी लिए बिना कारागार से	
का क्या अनुस्त्रस्य व रहा		अनुपस्थित नहीं रहेंगे।	35
बंदियों की सेवाओं का	22	अधीक्षक कारागार के कुशल प्रबंध के लिए नियमानुसार	You'l
DOG ONE DOG	23.	बंदियों की सेवाओं का सदुपयोग कर सकते हैं।	
सदुपयोग।		बादवा का रापाना का रायुवनां वर रावका छ।	

अध्याय - IV

ਜ਼ਹਿਜ਼ੇ	का गतेषा रश	गनान्तरण तथा रिहाई	1
000000 0002	24. (1)	जब कभी किसी बंदी का कारागार में प्रवेश होता है	
प्रवेश करने पर बंदियों	24. (1).	तो उसकी तलाशी ली जाएगी और उससे सभी हथियार	
की जाँच।	,	एवं प्रतिबंधित वस्तुएं ले ली जाएगीं।	
		प्रत्येक फौजदारी बंदी के प्रवेश के उपरांत उसी दिन	•
	(2)	उसका जाँच चिकित्सा अधिकारी के सामान्य या विशेष	5
		आदेशों के अनुसार किया जायेगा तथा एक पुस्तिका,	
		जो उपअधीक्षक द्वारा रखी जायेगी, में बंदी के स्वारथ्य	
		की दशा (स्थति) तथा किन्हीं ज़ख्मों की अथवा उसके	
		पहचान चिन्ह, जिस श्रम श्रेणी के लिए वह उपयुक्त	
		है, यदि कठोर कारावास का दण्ड हो, तथा चिकित्सा	10
		अधिकारी जिन टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित	4.50
		समझता हो, उन टिप्पणियों का उल्लेख करेगा या	
		करवायेगा।	
	(3)	किसी महिला बंदी की स्थिति में मैट्रान द्वारा तालशी	
	(5)	की जाएगी तथा महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा	15
		चिकित्सा जाँच की जाएगी।	
	25.	उस सारी धनराशि या अन्य वस्तुएँ जिनके संबंध में	
बंदियों के सामान।	LJ.	सक्षम न्यालालय द्वारा कोई आदेश नहीं किया गया है	100
		और जो किसी उपयुक्त प्राधिकार पत्र के साथ किसी	
		फौजदारी अपराधी द्वारा कारागार में लाई जा सकती	20
		है अथवा उसके उपयोगार्थ कारागार में लायी जा	10.01
		सकती है, उपअधीक्षक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।	
बंदियाँ का स्थानान्तरण	26. (1)	किसी अन्य कारागार से हटाए जाने से पूर्व सभी	
एवं रिहाई।	(-)	बंदियों की जाँच स्थिति अनुसार चिकित्सा अधिकारी	
एप रिहार ।		द्वारा की जाएगी।	25
in the second	· (2)	चिकित्सा अधिकारी/महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा	3000
	¥ 4	यह प्रमाणित किए जाने तक कि बंदी सभी प्रकार के	
P. Francisco		रोंगों से मुक्त है, किसी भी बंदी को एक कारागार से	
ब्रे रपुष्टा च		दूसरे कारागार में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।	
	(3)	किसी भी बंदी को, यदि वह बिकट या खतरनाक	30
		अस्वस्थता से आक्रान्त है, उसके इच्छा के विरूद्ध	
		कारागार से तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता है	
		जब तक की चिकित्सा अधिकारी/महिला चिकित्सा	13-18-
		अधिकारी के मत अनुसार ऐसी मुक्ति सुरक्षित है।	
	(4)	अधीक्षक यथाशीघ्र उस कैदी की आगामी नजरबन्दी	35
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	. ,	के संबंध में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यालालय से	1 TO SEC.
		आदेश प्राप्त कर सकता है जिसके रिहाई आदेश	1
		स्थानीय मामलों में प्राप्त हो गए हैं और जिसके	
	Ex	विरुद्ध अधीक्षक द्वारा बाहरी न्यायालय से उपस्थिति	ME CHAN
100 -N		वारंट प्राप्त हो गए हैं;	40
# E-+/5		,	

अध्याय - V कैदियों का अनुशासन

	पगदया	का अनुशासन	
अधीक्षक की जिम्मेदारी।	27.	कारागार में नियमानुसार अधीक्षक द्वारा उचित, पर्याप्त	
		और समान रूप से कैदियों में अनुशासन रखा जाएगा।	
कैदियों को अलग-अलग	28.	कैदियों के पृथक्करण के संबंध में इस अधिनियम के	
रखना।		अनुसार निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:-	•
	(1)	जिस कारागार में पुरुष कैदी भी हों वहाँ महिला	5
		कैदियों को अलग भवन या उसी भवन के पृथक् भाग	
		में इस तरह रखा जाएगा कि वे पुरुष कैदियों को न	
		देख सकें और न उनसे मिल सकें।	
	(2)	किसी कामुक या अन्य चरित्रहीनता के अनैतिक	
		व्यवसाय में सन्लग्न किसी अपराध के लिए अनैतिक	10
		देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का	KP H
		104) के अधीन अपराध की सिद्धदोषी या आरोपित	
	30.	महिला कैदी को अन्य सभी किरम की महिला कैदियों	
		से अलग रखा जाएगा।	
	(3)	जिस कारागार में 21 वर्ष से कम आयु के कैदी रखे	15
		गए हों, उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था	
		की जाएगी तथा उन कैदियों को भी अलग रखा	
		जाएगा जो 16 वर्ष के हैं लेकिन 18 वर्ष से कम आयु	
		के हैं।	
	(4)	गैर सिद्धदोषी अपराधी कैदी सिद्धदोषी अपराधी कैदियों	20
		से अलग रखें जाऐगें;	
	(5)	सिविल कैदी अपराधी कैदियों से अलग रखे जाएंगे;	
	(6)	खतरनाक/सुरक्षा कैदी अलग रखे जाएंगे;	
40 " '	(7)	नजरबंद कैदी अलग रखे जाएंगे;	
कैदियों को एक साथ तथा	29.	पिछली धारा की आवश्यकताओं के अधीन अपराधी	25
अलग-अलग रखना।		कैदियों को संयाजित या पृथक् रूप से सैलों में या	
		कुछ अंश तक एक रूप में एवं कुछ अंश तक दूसरे	
		रूप में रखा जा सकता है।	
मृत्युदंड के कैदी।	30. (1)	मृत्यु दंड के कैदी को कारागार में आने के पश्चात्	
And Lac		उसकी अधीक्षक या अधीक्षक के आदेश द्वारा तलासी	30
		ली जाएगी तथा उससे वे सभी वस्तुएँ ले ली जाएंगी	
		जिन्हें अधीक्षक खतरनाक या उसके पास छोड़ना	
Art Comment		उचित न समझें।	
	(2)	ऐसे प्रत्येक कैदी जिसे फाँसी की सजा दी गई हो	
		उसे अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा तथा उसे हर	35
		समय गार्ड की सुरक्ष में रखा जाएगा।	
CONTROL MADE CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR			

अध्याय - VI

दीवानी कैदियों को भोजन, वस्त्र और बिस्तर

कुछ कैदियों को निजी स्त्रोत द्वारा अनुरक्षण।

31.

दीवानी कैदी को स्वयं का रखरखाव करने तथा निर्धारित समय और दिवस में निजी साधनों से खाद्य, वस्त्र, बिस्तर या अन्य सामग्री खरीदने या प्राप्त करने की अनुमति होगी परन्तु यह महानिरीक्षक द्वारा यथानुमोदित नियमों और जाँच के अनुसार होगा।

कुछ कैदियों के बीच भोजन 32. और वस्त्र हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध।

किसी दीवानी कैदी का भोजन एवं वस्त्र, बिस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुएँ किसी भी अन्य कैदी को नहीं दी जाएगी, न किराये पर दी जाएंगी, न बेची जाएंगी तथा कोई कैदी जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे खाद्य सामग्री खरीदने या निजी साधनों से प्राप्त करने के अधिकार से, जैसा अधीक्षक

10

दीवानी कैदियों को वस्त्र 3 तथा बिस्तरों की आपूर्ति।

33.

बिस्तरें और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करवाने में असमर्थ है उसे यथानिर्धारित नियमानुसार वस्त्र, बिस्तरें और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाएंगी।

उचित समझे, उस समय तक वंचित रखा जाएगा।

प्रत्येक दीवानी कैदी जो स्वयं के लिए पर्यापत वस्त्र,

15

	अध्य	ाय - VII	
	कैदियों	का रोजगार	
दीवानी कैदियों को	34. (1)	दीवानी कैदी, जैसा अधीक्षक उचित समझे, उन	
रोजगार।		प्रतिबंधों के अधिन किसी कारागार में उपलब्ध व्यवसया	
		कार्य करने की अनुमति दे सकता है।	
	(2)	वे दीवानी कैदी, जिनके पास अपने उपकरण हैं तथा	
		उनका कारागार के खर्च पर रखरखाव नहीं किया	5
		जाता, उन्हें अपनी पूरी कमाई प्राप्त करनेकी अनुमति	
		होगी लेकिन उपकरण सहित प्राप्त ऐसी कमाई या	
	*	कारागार के खर्च पर जिनका रखरखाव किया जाता	
		है उनका उपकरणों के प्रयोगार्थ तथा रखरखाव की	
. in		लागत अधीक्षक द्वारा निर्धारित कटौती के अधीन	10
		होगा।	
फौजदारी कैदियों को	35. (1)	फीजदारी कैदियों को, जो श्रम करना चाहते हैं, उन्हें	8.00
रोजगार।		इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों में यथानिर्धारित	TOWN OF SHIP
		प्रतिबंधों के अधीन अधीक्षक की अनुमति से रोजगार	
		दिया जा सकता है।	15
	(2)	कोई फौजदारी कैदी जिसे श्रम दंड की सजा है या	et sold a sold
		जो अपनी इच्छा से श्रम कर रहा है, उसे अधीक्षक की	
		लिखित अनुमति के बिना एक दिन में नौ घंटे से	
	¥.	अधिक आपात्ं ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।	
	(3)	चिकित्सा अधीक्षक समय-समय पर श्रम करने वाले	20
		कैदियों की जाँच करेगा जब व काम पर नियुक्त किए	
		गए हों तथा श्रम करने वाले प्रत्येक कैदी की हिस्ट्री	
,		टिकट पर कम से कम प्रत्येक पखवाड़े (15 दिन) में	
		कैदी का वजन अंकित कराएगा।	
	(4)	यदि चिकित्सा अधिकाारी की विचार है कि श्रम के	25
		दौरान किसी कैदी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो	
		कैदी को उस श्रम में नहीं रखा जाएगा परन्तु उसे	
		दूसरे ऐसे श्रम में नियुक्त किया जा सकता है जैसा	
		चिकित्सा अधिकारी उसके लिए सही समझे।	
फौजदारी कैदी के लिए	36.	साधारण कैद की सजा वाले फौजदारी कैदियों के	30
रोजगार जिन्हें साधारण		लिए जब तक वे चाहें रोजगार हेतु अधीक्षक द्वारा	
कैद की सजा हो।		प्रावधान किया जाएगा। ऐसे कैदियों को कार्य न	
		करने पर सजा नहीं दी जाएगी।	

अघ्याय - VIII

	कैदियों	का स्वास्थ्य	
बीमार कैदी।	37. (1)	उन कैदियों के नाम, जो चिकित्सा अधीनस्थ से	
		इलाज करवाना चाहते हैं या शारीरिक या मानसिक	4-16
		रूप से अस्वस्थ हैं, उन कैदियों के प्रभारी अधिकारी	
		द्वारा अविलंब उप-अधीक्षक को भेजे जाएंगे।	
	(2)	उप–अधीक्षक बिना देरी किए चिकित्सा अधिकारी या	5
		चिकित्सा अधीनस्थ के पास कैदी को भेजेगा जो	
		बीमार है या जिसके स्वारथ्य या दिमाग पर ध्यान देने	16
		की आवश्यकता है तथा चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा	THE CASE
		अधीक्षक द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों या कैदी के	
		उपचार के बारे में कार्यवाही करेगा।	10
चिकित्सा अधिकारी के	38.	किसी कैदी से संबंधित किसी चिकित्सा अधिकारी या	
निर्देशों का अभिलेख।		चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिए गए दवाइयों की आपूर्ति	
		संबंधी आदेशों के सिवाय चिकित्सा अधिकारी द्वारा	
		स्वयं या उसकी देखरेख के अधीन प्रभावी किए जाने	
		वाले ऐसे मामलों से संबंधित निर्देश, बंदी की प्रतिदिन	15
		की हिस्ट्री टिकट में दर्ज किए जाएंगे अथवा ऐसे	12.0
		अभिलेख में दर्ज किए जाएंगे जैसा सरकार नियमानुसार	
		निर्देश दें और उसे उप-अधीक्षक उपयुक्त स्थान पर	•
		इसकी प्रविष्टि करेंगे। प्रत्येक निर्देश के बारे में इस	
		आशय का उल्लेख होगा कि इसका पालन किया गया	20
		है या नहीं। इसके साथ ऐसी टिप्पणी होंगी जैसा	
	n .	उप-्अधीक्षक उचित समझते हों तथा इसमें प्रविष्ट	
		की तिथि होगी।	
अस्पताल।	39.	प्रत्येक कारागार में एक अस्पताल/औषधायल या बीमार	
		कैदियों के उपचार हेतु स्थान की व्यवस्था की जाएगी।	25
		1000 TO THE STATE OF THE STATE	

अध्याय - IX

	साक्षात्व	गर तथा पत्र	1941
साक्षात्कार।	40.	प्रत्येक कारागार में उन व्यक्तियों के प्रवेश हेतु, जिनसे कैदी साक्षात्कार करना चाहते हैं, यथोचित प्रावधान उचित निर्देशों के अधीन किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जहाँ तक न्याय के हित के अनुरूप हो, कैदी बिना किसी अन्य व्यक्ति के उपस्थिति में, यथावत प्राधिकृत और योग्य कानूनी व्यवसायी से मुलाकात कर सकता है।	, 5
आंगतुकों की तलाशी।	41. (1)	उप-अधीक्षक, किसी कैदी के पास आने वाले आंगुतक का नाम और पता पूछ सकता है तथा जब उप-अधीक्षक के पास संदेह का कोई कारण है तो वह आंगतुक की तालशी ले सकता है या तलाशी के आदेश दे सकता है परन्तु तलाशी किसी कैदी या किसी अन्य आंगतुक के समने नहीं ली जाएगी।	10
	(2)	तलाशी के लिए आगंतुक द्वारा मना किए जाने पर उप-अधीक्षक उसे प्रवेश करने से रोक सकता है तथा ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट पूरे विवरण सहित, जैसा सरकार निर्देश दे, रिकार्ड में दर्ज करेगा।	15
पत्र।	(2)	कैदी की अपने संबंधियों और मित्रों को उतनी संख्या मे पत्र लिखने की सुविधा होगी जैसा निर्धारित किया गया हो। कैदी को अपने खर्च पर पत्र लिखने की अनुमति होगी।	20
	(3)	अधीक्षक, कैदी द्वारा लिखे गये प्रत्येक पत्र की जाँच करेगा तथा कैदी से पत्र के किसी भाग को मिटाने या हटाने के लिये कह सकता है जो उसके विचारा से राज्य या कारागार कि लिए असुरक्षा उत्पन्न करे या जिसमें कारागार के कार्य के बारे में गलत सूचना हो।	25
	(4)	अधीक्षक, कैदी को बाहर से प्राप्त सभी पत्रों की भी जाँच करेगा तथा उसे देने से पूर्व उसके किसी भी भाग को हटा सकता है जिससे उसके विचार से राज्य या कारागार की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।	30
	(5)	अच्छे आचरण पर अधीक्षक द्वारा पत्र लिखने की सुविधा संगत है तथा बुरे आचरण पर यह सुविधा वापस ली जा सकती है या स्थिगित की जा सकती है।	35

अध्याय - X कारागार से संबंधित अपराध

43.

44.

45.

कारागार के अंदर
कोई वस्तु ले जाने
या कारागार से बाहर
कोई वस्तु लाने तथा
अन्य कैदियों के साथ
संप्रेषण पर दंड।

जो भी व्यक्ति धारा 71 के अधीन किसी नियम के विपरीत कारागार के अंदर कोई वस्तु ले जाता है या बाहर लाता है या लाने का प्रयास करता है या कारागार सीमाओं के बाहर कोई निषद्ध वस्तु किसी कैदी को देता है तथा कारागार का अधिकारी या स्टॉफ सदस्य, ऐसे नियम के विपरीत जानबूझकार कारागार में कोई वस्तु ले जाता है या बाहर से लाता है या कारागार की सीमा के बाहर से कैदी को वस्तु देता है तथा जो ऐसे नियम के विपरीत किसी अन्य कैदी के साथ संप्रेषण करता है या संप्रेषण का प्रयास करता है या इस धारा द्वारा दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह मजिस्ट्रेट के समझ दोष सिद्ध होने पर छः माह की कैद या दस हजार रुपये अर्थदंड या दोनों सजा का भागी होगा।

5

10

15

20

25

धारा 43 के अधी अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती धारा में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारागार अधिकारी के समझ करता है तथा अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या गलत नाम और पता बताता है तथा जिसका अधिकारी को पता है तो वह अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है तथा बिना देरी किए उसे पुलिस अधिकारी को सौंपेगा और उसके बाद ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा जैसे अपराधा उसके सामने किया गया है।

अर्थदंडों का प्रकाशन।

अधीक्षक, कारागार के बाहर किसी स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर, दिल्ली की राजभाषा में सूचना लगवाएगा जिसमें घारा 43 के अधीन निषिद्ध कार्यो और उनके लिए अर्थदंड का उल्लेख होगा।

अध्याय - XI कारागार अपराध

	अध्य	ald - Al	
	काराग	गर अपराध	
कारागार अपराध।	46.	किसी कैदी द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य कारागार	
		अपराध घोषित किए जाते हैं :	
	(1)	कारागार के किसी विनियम का जानबूझकर उल्लंघन	2
		जो धारा 71 के अधीन निर्मित नियमों द्वारा कारागार	11.72
		अपराध घोषित किया गया हो;	5
2	(2)	किसी प्रकार का आक्रमण या आपराधिक बल का	
		प्रयोग;	
	(3)	जानबूझकर स्वयं को क्षति पहुँचाना;	
	(4)	अपमानजनक या धमकी वाली भाषा का प्रयोग;	
	(5)	अनैतिक, अभद्र या गलत व्यवहार;	10
	(6)	स्वयं को जानबूझकर श्रम से बचाना;	777
	(7)	बार—बार कार्य करने से मना करना;	
	(8)	हथकड़ियों, या सीखंचों को उचित प्राधिकार के बिना	
100	(0)	रेतना, काटना, बदलना या हटाना;	
	(9)	कठोर श्रम के कैदी द्वारा जानबूझकर बेकार बैठना या	1.5
100 P	(9)	कार्य की लापरवाही करना;	15
6	(10)	कठोर श्रम के सजा के कैदी द्वारा जानबूझकर कार्य	
	(10)	की अत्यावस्था;	100
	(11)	जानबूझकर कारागार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना;	
	(12)	हिस्ट्री टिकटों, अभिलेखों या दस्तावेजों को फाड़ना	20
	(12)	या खराब करता;	20
	. (13)	किसी भी निषिद्ध वस्तु को प्राप्त करना, अपने पास	
	(13)	रखना या हस्तांतरित करना;	
	(14)	667C 46664 ASSE ZOSE SOCIOTO SOCIETO SOCIOTO SOCIETO S	
Er.	(14)	बीमारी का बहाना;	305
	(15)	किसी अधिकारी या कैदी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा	25
	(1.6)	आरोप लगाना;	
	(16)	किसी अग्निकांड, घटना या षडयंत्र का पता लगने पर	
		उसे छिपाने या सूचित करने से मना करना, कारागार	4
		से भागना या भागने का प्रयास करना तथा दूसरे कैदी	11 34 22
		या कारागार कर्मचारी पर किसी प्रकार आक्रमण करना	30
		या आक्रमण की तैयारी करना;	11/81/05
	(17)	भागने का षडयंत्र करना या अन्य को भागने में मदद	
		करना;	
800	(18)	किसी कैदी को दूसरे धर्म; आस्था में बदलना या	7837
		बदलने का प्रयास करना या जानबूझकर दूसरों की	35
		धार्मिक भावनाओं, विश्वासों तथा आस्था को चोट	
	Marie and the	पहुँचाना;	
	(19)	हिंसा, हमला, दंगा, विद्रोह आक्रमण, व्यक्तिगत हिंसा	142
		या किसी अन्य इमरजेंसी रोकने में जेल कर्मचारी की	1 975
		मदद न करना या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने	40
		से रोकना;	100
D. Maria La	(20)	लिखित रूप से या बोलकर या संकेत द्वारा गुप्त रूप	
		mpt may be a boundary of boundary	

		*	
	(2	1) किसी दंगे या विद्रोह में भाग लेना या किसी अन्य	
		कैदी को दंगा या विद्रोह करने के लिये भड़काना;	
GE .	(2	2) कारागार सम्पत्ति या कैदियों की वस्तु तथा सम्पत्ति	医肠道管
	8	चुराना, नष्ट करना, खराब करना, बिगाड़ना या उसक	
		दुरुपयोग करना;	5
	(2	 भोजन करने से मना करना या भूख हड़ताल करना 	engri Pe II
	(2	4) कारागार के अंदर अप्राधिकृत रूप से किसी स्थान या	
		कक्ष में भोजन तैयार करना;	100
	(2	5) अप्राधिकृत गतिविधियों में भाग लेना या उनका	
		आयोजन करना जैसे :- जुआ खेलना, शराब पीना ,	
Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara		नशीले पदार्थी का सेवन तथा लेन-देन करना तथा	
		ऐसे ही अन्य कार्य करना;	
	(2)		
	(2	,	
		सहायक होना या दुष्टप्रेरित करना;	- 1
	(2	7) अन्य कोई अप्राधिकृत, गैर-कानूनी या अवैध कार्य	15
		करना जैसा कि नियमों में यथाविनिर्दिष्ट हो;	
कारागार अपराधों	47. (1		
सजा।		किसी कैदी के मामले में जाँच कर सकता है या ऐसे	
		अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है जो	
		उप-अधीक्षक से कम रैंक का न हो, तथा कैदी को	20
		निम्नलिखित सजा दे सकता है :-	
	(ব	b) औपचारिक चेतावनी, जो अधीक्षक द्वारा कैदी को	此則則是
	•	व्यक्तिगत रूप से संबोधित हो तथा सजा पुस्तिका में	
		अभिलेखबद्ध हो;	SAME S
	(ਦ		25
		देना या महा-निरीक्षक के अनुमोदन से किसी कैदी	
		को छः माह की अवधि तक क्षमा (छूट) प्रणली से	
		हटाना;	
		उपबंध है कि महानिरीक्षक को सरकार द्वारा प्रदत्त	
September 1		माफी के अतिरिक्त सभी अर्जित छूट को जब्त करने	THE PERSON NAMED IN THE PE
		या किसी कैदी को उसकी संपूर्ण कारावास की अवधि	
		के लिए छूट प्रणली बरखास्त करने की शक्ति होगी।	
2	(ग		
		माह की अवधि तक कैंटीन सुविधाएँ या एक माह तक	The I
		मिलने से रोकने की शक्ति होगी।	35
	. (ε	ा) पैरोल या छुट्टी पर रिहा होने की शर्तो का उल्लंघन	产品 24 点
	10	और उन्हें भंग करने के मामले में उक्त अवधि को कैव	
		की सजा में नहीं गिना जाएगा;	LA SECULIA AND
	(ভ		
		की रवीकृति से छः माह तक की अवधि तक पृथक्करण	
	(₹		
	(-	तथा महानिरीक्षक की अनुमति से यथानिर्धारित शर्ती	
		के अधीन तीन माह् की अवधि तक पृथक् कारावास	a time of
		की सजी।	十十四十二
		4.0	

		रपष्टीकरण :- पृथक् कारागार का अर्थ है, श्रम सहित	
		या श्रम रहित कारावास जो किसी कैदी को पूर्ण रूप	
	10	से अन्य कैदियों के साथ संप्रेषण से अलग रखता है	
		लेकिन नजरों से दूर नहीं रखता।	11-2
	(2)	उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त कोई सजा देते	5
		समय निम्नलिखित विशेषाधिकार कैदियों पर लागू	
	Jif.	होंगे, अर्थात्	-
	(क)	पत्रों और धार्मिक तथा आदर्श पुस्तकें की आपूर्ति की	
		व्यवस्था, जैसी कारागार के नियमों में व्यवस्था हो,	
		उनके अनुसार;	10
	(ख)	उपरोक्त उप-धारा 1 के खण्ड (ग) के अधीन सजा	
		के मामले के अतिरिक्त, अधीक्षक द्वारा नियमानुसार	
		कैदी के परिवार के सदस्यों के साथ मिलने की	
		अनुमति दी जा सकती है।	
धारा 47 के अधीन दण्ड	48. (1)	अधीक्षक, उपरोक्त बताए गए किसी भी दण्ड को	15
देने की सीमा।	00 3000 BACON	अवार्ड कर सकता है, बशर्ते कि यदि एक मास से	
		अधिक अवधि के लिए अलग कारागार में बंद रखा	41
	¥	जाता है तो महानिरीक्षक से पूर्व पुष्टि प्राप्त की	
		जाएगी।	不得不是 。
	(2)	अधीक्षक से नीचे का कोई भी अधिकारी, जो भी हो,	20
		उपरोक्त दण्ड देने का अधिकार नहीं रखता;	
	(3)	सत्र न्यायधीश के न्यायिक सूचना के बिना किसी भी	
	, ,	प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाएगा और जहाँ आपातकाल	
		के कारण ऐसी सूचना देना कठिन है कार्यवाही के दो	ME.
		दिन भीतर वह सूचना दी जाएगी।	25
	(4)	गम्भीर या दुबारा कदाचार की मुकदमा चल रहे कैदी	
	(' /	द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को मुकदमें वाले	
		न्यायायलय को अधीक्षक द्वारा सुचीत की जाएगी।	325
दण्ड पिछली धराओं के	49.	न्यायालय के आदेश के अलावा, पिछली धाराओं में	
अनुरूपहीं होगा।	15.	उल्लेख किए दण्ड के अलावा कोई भी दण्ड उन	30
		धाराओं के उपबंधों के बिना अन्यथा रूप में किसी	中国为有
		कैदी को नहीं दिया जाएगा।	
दण्ड पुरितका में प्रविष्टी।	50. (1)	दिए गए प्रत्येक दण्ड से सम्बंधित, धारा 12 में उल्लेखित	10年2月
3		दण्ड पुस्तिका में दर्ज किये जायेंगे कैदी का नाम,	
		रजिस्टर संख्या तथा उसका वर्ग (आदतन है या नहीं)	35
		जिससे वह सम्बंधित है, कारागार अपराध जिसके	
		लिए वह दोषी था, कारागार अपराध करने की तिथि,	. 348
		कैदी के विरूद्ध दर्ज पिछले कारागार अपराधों की	4 143
		संख्या तथा उसके पिछले कारागार अपराध की तिथि,	-
	70 <u>0</u> 0	दिये गये दण्ड का विवरण और उसके देने की तिथि।	40
	(2)	प्रत्येक गम्भीर कैद अपराध के लिए गवाहों के नाम,	40
¥-		उनकी गवाही की अहिमया, कैदी का बचाव तथा	
	w	निष्कर्ष और उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा।	
			761

	(3)	प्रत्येक दण्ड संबंधी प्रविष्टी के लिए, उपाधीक्षक तथा	
		अधीक्षक अपने अपने हस्ताक्षर करेगा तथा प्रविष्टी की	
		सत्यता का साक्ष्या देगा।	
गम्भीर अपराध किए	51. (1)	यदि कोई कैदी कारागार अनुशासन के विरुद्ध	
जाने पर प्रक्रिया।		अपराध करने का दोषी है, जो उसे बार-बार	
		अपराध करने के कारण या अन्यथा रूप में है, और	
		अधीक्षक की राय में उसे कोई दण्ड देने के लिए	
		पर्याप्त नहीं है जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन	
		उसे शक्ति प्राप्त है, तो अधीक्षक ऐसे मामले को मुख्य	
		मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, जिसका	10
		क्षेत्राधिकार है, भेज सकता है तथा वह मजिस्ट्रेट	10
		इसकी जांच करेगा तथा कैदी के विरुद्ध लगाए गए	
		अभियोग पर मुकद्दमा चलाएगा तथा सजा होने पर	
		उसे कैंद की सजा दे सकता है जो एक वर्ष तक की	
		हो सकती है और यह सजा के अतिरिक्त होगी	
		जिसके लिए वह अपराध करने से पहले कारागार में	15
		था या धारा 47 के अन्तर्गत बताए गए किसी दण्ड की	
		सजा भी दे सकता है।	
		बशर्ते कि ऐसा कोई भी मामला मुख्य मैट्रोपोलिटन	
		मजिस्ट्रेट द्वारा किसी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को मुकदमें	20
	. (2)	के लिए भेजा जा सकता है।	
	(2)	किसी भी व्यति को एक ही अपराध के लिए उपधारा	
कारागार अधीनस्थों	50 (1)	(1) के अधीन दुबारा दण्ड नहीं दिया जाएगा।	
	52. (1)	प्रत्येक उप-अधीक्षक या उसके अधीनस्थ अन्य कोई	
द्वारा अपराध।		कारागार अधिकारी जो अपनी ड्यूटी का उल्लंघन	25
		करता है या अवहेलना करता है या सक्षम प्राधिकारी	
		के किसी विधि सम्मत आदेश या नियम या विनियम	
		की अवहेलना करता है या जो बिना अनुमति के अपनी	
		कार्यालय ड्यॅटी के अलावा अधिकार के बिना किसी	
		रोजगार में लगा हुआ है या जो कायरता का	30
		अपराधी है, तो उसे मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी सिद्ध	
	•	किए जाने पर, दस हजार रुपये तक जुर्माना या छह	
		महीने तक कैंद या दोनों हो सकते हैं।	
	(2)	किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए उपधारा	
11110		(1) के अधीन दुबारा दण्ड नहीं दिया जाएगा।	35
दण्ड देने के लिए जाँच	53. (1)	किसी भी कैदी को धारा 47 के अधीन दण्ड नहीं	
करवाने की प्रक्रिया।		दिया जाएगा जब तक उसे किए गए तथाकथित	
		अपराध की सुनवाई के लिए उपयुक्त अवसर नहीं	
		दिया जाता।	
	(2)	एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दुबारा दण्ड	40
		नहीं दिया जाएगा।	
	(3)	उक्त उपधारा (1) तथा (2) के उपबंधों के अधीन	
		रहते हुए अधीक्षक जाँच करवाने कि लिए ऐसी प्रक्रिया	
		का अनुपालन कर सकता है जो निर्धारित की गई है	

जिसमें किसी कैदी के विरुद्ध अभियोग दायर करना, जांच होने तक कैदी को अलग रखना, जांच की स्थिति में चिकित्सा, जांच करवाना तथा अपील या संशोधन के लिए अनुरोध संबंधी अन्य मामले;

जहाँ कैदी का कार्य भारतीय दण्ड सहिंता 1860, (4)(1860 का 45) के अधीन या इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध हो या किसी स्थानीय विशेष कानून के अधीन आता है, तो अधीक्षक मामले को स्वयं निपटाए या उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजे यह उसके विवेककाधीन होगा। बशर्ते कि जहाँ किया गया अपराध संज्ञेय है, जो तीन वर्ष या अधिक की सजा के अन्तर्गत आता है, तो वह अपराधी पर मुकदमें की कार्यवाही शुरू करेगा।

54. (1) जहाँ कैदी बिना किसी कारण के किसी शर्त को, जिसके अधीन उसकी कैंद को आधा या निलम्बित किया गया था या उसे पैरोल पर या फरलो पर छोड़ा गया था, पूरा नहीं करता है तो सक्षम अधिकारी छूट, निलम्बन या पैरोल या फरलो को समाप्त करने का आदेश दे सकता है, तथा-

यदि कैदी भाग गया है तो उसे कोई भी पुलिस अधिकारी किसी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है तथा उसे शेष कैद के लिए कारागार भेज सकता है, तथा

(ख) न्यायालय द्वारा दण्ड दिए जाने के पश्चात् उसकी कैद की अवधि के अतिरिक्त कैद की सजा भी दे सकता है जो दो वर्ष तक कैद तथा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी (2)दण्डनीय अपराधा का संज्ञान नहीं लेगा जब तक सरकार या जिस-जिस अधिकारी ने निलम्बन, छूट, पैरोल या फरलो के आदेश दिए है वह अनुमित नहीं देता।

जिन शर्तों के अधीन छूट आदि दी गई थी उन्हें पूरा न करना।

15

5

10

20

25

30

अध्याय - XII

कैदियों	की सरि	त अभिरक्षा तथा सुरक्षा	
कादया का सुरक्षित अभिरक्षा तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व।	55. (1)	कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा सुरक्षा के लिए प्रभावशाली उपाय करने के लिए अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी।	
न्यायालय के आदेश से सीखचें। में रखा जाना।	(2)	जब अधीक्षक को यह विश्वास हो कि कोई कैदी कारागार से भाग सकता है क्योंकि उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति है या वह खतरनाक बदहवास हो सकता है और उसे भागने से रोकने का कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं है सिवाय कि उसे सीखचों के अन्दर रखा जाए	5
आपात स्थिति में हथकड़ी तथा बेड़ियों का इस्तेमाल।	(3)	तो वह न्यायलय की अनुमित से उसे सीखचों के अंदर रखेगा। आपातकाल स्थिति में अधीक्षक को हथकड़ी तथा बेड़ियों का इस्तेमाल का अधिकार होगा ताकि कैदी को सुरक्षित रखा जा सके जिसके लिए वह लिखित	10
हथकड़ी तथा बेड़ियाँ लगाने से कैदियों	56.	रूप में कारण देगा तथा इसकी सूचना हथकड़ी बेड़ी लगाए जाने के चौबीस घेटे के भीतर जिला एवं सत्र न्यायधीश को देगा। निम्नलिखित को हथकड़ी तथा बेड़ियाँ नहीं लगाई जाएगीं:-	15
को छूट।	(1) (2) (3)	महिला कैदी; सिविल कैदी; तथा बूढ़े, शारीरिक रूप से अक्षम या गम्भीर बीमार कैदी।	20

अध्याय - XIII

विविध

		विविध	
शिकायतों का निवारण।	57. (1)	कैदियों से शिकायतें प्राप्त करने हेतू एवं ऐसे शिकायतों	9
		के निवारण हेतू प्रत्येक कारागार में एक शिकायत	
		निवारण समिति निम्न प्रकार से नियुक्त किया जा	
		सकता है; अर्थात :	
-	(ক)	अधीक्षक — अध्यक्ष	5
	(ख)	उप–अधीक्षक – सदस्य	
	(ग)	चिकित्सा अधिकारी – सदस्य	
	(घ)	कल्याण अधिकारी – सदस्य	
	(2)	कैदियों से प्राप्त आवेदनों एवं प्रतिवेदनों पर विचार	
	, , ,	करने हेतू शिकायत निवारण समिति एक महीने में	10
		कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेगा तथा वह	10
		इन आवेदनों एवं प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतू ऐसे	
*		पद्धति का पालन करेगा जो इस सम्बद्ध में निर्धारित	
		किया गया हो।	
	(2)		
	(3)	शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतप्त कोई	15
\$		कैदी निर्णय के सूचित करने के तीस दिन के अन्दर	
a contract of the contract of		उप-महानिरीक्षक को अपील कर सकता है।	
	(4)	इससे पहले कुछ भी उल्लेख होते हुए भी, सभी कैदी	
		को महानिरीक्षक अथवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को	
		शिकायत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जायेगा	20
		जो इन शिकायतों को दूर करने के लिए पद्धति	
		निर्धारित करेगा।	
हड़ताल आदि का निषेध।	58.	कारागार में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कोई संघ	
		बनाने या उसमें शामिल होने, चाहे व जेल के अन्दर,	
		हो या बाहर, किसी भी उद्देश्य के लिए या कोई माँग	25
· *		करने या हड़ताल करने या जेल के अन्दर किसी	
		अनुरोध या मांग को मनवाने के लिये आन्दोलन करने	
		का अधिकार नहीं होगा।	
बाहरी अभिरक्षा, नियंत्रण तथा	59.	कोई कैदी, जो किसी कानूनी कारागार में है या जब	
कैदियों को रोजगार।	•	कभी वह कारागार की सीमाओं से बाहर कार्य कर	30
		रहा है या कारागार से संबंधित किसी कारागार	
		अधिकारी की अभिरक्षा में है तो उसे कारागार के	
		अन्दर ही माना जायेगा तथा उस पर कारागार में	
		वास्तविक रूप से लागू होने वाले निर्देश तथा अनुशासन	
		लागू होगा।	35
आपराधिक कैदियों के	60. (1)	सरकार एक वर्ष के पश्चात् कारागार में कैदियों के	
मामलों की समीक्षा		मामलों की समीक्षा करवाएगी जब कानून के अन्तर्गत	
		उसे दी गई अधिकतम सजा का आधा समय उसे	
		कारागार में हो जाता है।	
	(2)	सरकार सुनिश्चत करेगी कि कोई भी कैदी उसे दी	40
		गई सजा से अधिक समय तक कारागार में न रहे	ŦU
		बगर्त कि यह समग्र जर्म ही गई यत्वा के लिए ही हो।	

न्यूनतम बल का प्रयोग।	61. (1)	दंगे की किसी घटना को नियंत्रित करने के लिये	75
		कारागार का अधिकारी कम से कम बल प्रयोग करेगा	
		तथा कैदियों को नियंत्रित या काबू करने के लिये कम	
4		से बल प्रयोग की कोशिश करते हुए या किसी	
		अधिकारी या किसी व्यक्ति पर हिंसा करने वाले	5
		किसी कैदी पर कम से कम बल का प्रयोग करेगा।	J
- कानूनी सहायता।	62.	सरकार कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता	
101		उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करेगी।	
कैदियां का पुनर्वास।	63.	सरकार कैदियों के पुर्नवास के लिए सभी प्रकार के	
		प्रयत्न करेंगी।	10
कमजोर दिमाग के व्यक्ति।	64.	किसी अपराधी को छोड़कर किसी कमजोर दिमाग के	
·		किसी भी व्यक्ति को कारागार में नहीं रखा जायेगा।	
संरक्षणात्मक अभिरक्षा।	65.	संरक्षणात्मक अभिरंक्षा का पात्र कोई भी व्यक्ति कारागार	
		में नहीं रखा जायेगा।	
लेखा एवं लेखा-परिक्षा।	66.	प्रत्येक कारागार का लेखा सरकार द्वारा निर्धारित रूप	15
0.04		में बनाया तथा रखा जायेगा।	
कारागार अधिकारियों	67. (1)	सरकार कारागार के सभी कर्मचारियों को उनके	
का प्रशिक्षण।		उत्तरदायित्वों तथा कैदियों के अधिकार का ज्ञान	
		कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी।	
*	(2)	इस प्रशिक्षण की अवधि तथा पाठ्यक्रम सरकार द्वारा	20
~ *		निर्धारित किया जायेगा।	
अधिकारों का प्रत्यायोजन।	68.	राज्य सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए	
E .		किसी भी अधिकार का प्रयोग, इस आशय के लिए	
	ų.	अभिहित किए गए किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा	
areflore -o- DO		सकता है।	25
अधीक्षक तथा चिकित्सा	69.	इस अधिनियम के अधीन किसी अधीक्षक या चिकित्सा	
अधिकारीयों की शक्तियों		अधिकारी की ड्यूटी तथा अधिकारों का उसकी	
का प्रयोग।		अनुपस्थिति में ऐसा कोई अन्य अधिकारी प्रयोग कर	
		सकता है जिसे इस आशय के लिए राज्य सरकार	150
विषयाम में किया गा		नामसे या पद्नामित करते हुए नियुक्त करे।	30
विश्वास में किए गए कार्यों का संरक्षण।	70.	सरकार या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी	
पगया पग सरवाणा		ऐसे कार्य के लिए मुकदमा, कानूनी कार्यवाही या अन्य	
		कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो उसने विश्वास	
	•	में अधिनियम, उसके अधीन नियमों या आदेशों या	35
		निर्देशों के अनुसरण में किया हो या धारा 60 की	35
		उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के अनुसरण में किया	
सरकार की कानून बनाने	71 (1)	हो।	
की शक्तियाँ।	71. (1)	इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए	
HARRY METERS STATE ** *	(2)	सरकार सामान्य रूप से नियम बना सकती है। विशेष रूप से तथा पिछली शक्तियों पर सामान्यतः	
*	(2)	विपरीत प्रभाव डाले बिना नीचे दिये गए विषयों में से	40
		किसी पर नियम बनाये जा सकते हैं, अर्थात:-	
9	(i)	कार्य परिभाषित करना जिसमें जेल अपराध बताया	
	(*)	गया हो:	

कारागार अपराधों का वर्गीकरण गम्भीर और छोटे अपराधों में करनाः अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध को निश्चित (iii) करना जो कारागार अपराध करने या उसके किसी वर्ग के अपराध करने पर दिया जा सकता है; 5 ऐसी परिस्थितियों की घोषणा करना जिनमें किए गए (iv) कार्य कारागार अपराध तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) दोनों के अधीन अपराध धोषित किया जा सकता है तथा कारागार अपराध के अनुसार निपटाया जाए या नहीं। 10 अंक प्रदान करना तथा कारागार की अवधि कम (v) करनाः किसी अपराधी या अपराध निकाय के विरुद्ध दंगा. (vi) कारागार तोड़ना या कारागार से भागने का प्रयत्न में बल प्रयोग को नियंत्रित करना: 15 उन परिस्थितियों को परिभाषित करना तथा शर्तों को विनियमित करना जिनके अन्तर्गत मौत के खतरे वाले कैदी को छोड़ा जा सकता है; viii) कैदियों का वर्गीकरण तथा वार्डो, सैलों तथा कैद के अन्य स्थानों का विवरण तथा निर्माण करना 20 कैदियों के प्रत्येक वर्ग में कैदियों को रखने के लिए संख्या, अवधि या जेल के स्वरूप या अन्यथा रूप में विनियमित करनाः कैदियों के प्रशासन तथा अधिनियम के अधीन (x)अधिकारियों की नियुक्ति के लिए; 25 अपराधी कैदियों के भोजन, बिस्तर तथा कपड़ों के (xi) बारे में तथा अपने खर्चे के अलावा अन्यथा रखरखाव किये जाने वाले सिविल कैदियों के बारे में: (xii) कैद के अन्दर तथा कैद के बिना सजायापता कैदियों के रोजगार, प्रशिक्षण तथा नियंत्रण के लिए: 30 (xiii) उन वस्तुओं को परिभाषित करना जिसका शुरू किया जाना या हटाया जाना उपयुक्त प्राधिकारी के बिना निषेद्ध है: श्रम का वर्गीकरण तथा स्वरूप को निर्धारित करना (xiv) तथा श्रम से विश्राम की अवधि को विनियमित करना: 35 कैदियों के रोजगार से प्राप्त राशि के निपटान को (xv)विनियमित करनाः कैदियों के रखरखाव, कल्याण तथा आकस्मिक (xvi) परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उपाय 40 करनाः कैदियों का वर्गीकरण तथा अलग-अलग रखना; (xviii) धारा 29 के अधीन सजायापता अपराधी कैदियों की कैद का विनियमित करनाः

(ii)

इतिवृत टिकटों को तैयार करना तथा रखरखाव; अच्छे चालचलन के लिए पुरस्कृत करना; (xx)जिन कैदियों की सजा अवधि समाप्त होने वाली है (xxi) उनके स्थानांतरण को विनियमित करना तथा अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी सरकार से 5 सहमति प्राप्त करना जहाँ कैदी को स्थानान्तरण किया जाना है; कारागार के मानसिक रूप से बीमार अपराधी कैदी (xxii) का इलाज, स्थानांतरण तथा निपटान के लिए; (xxiii) कैदियों से अपीलों तथा मुकदमों का संचारण तथा 10 उनके संबंधियों को बताना; (xxiv) कैदियों को मिलने वालों की नियुक्ति तथा मार्ग दर्शन के लिए; इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों (xxy)के किसी या सभी उपबंधों को किसी अधीनस्थ 15 कारागार को या अपराध प्रक्रिया सहिंता, 1973 (1974 का 2) की धारा 417 के अधीन बनाई गई कारागार को विस्तारित करना तथा नियुक्त अधिकारी तथा हिरासत में कैदी; (xxvi) कैदियों के प्रवेश, अभिरक्षा, रोजगार, भोजन, ईलाज 20 तथा मुक्त करना; (xxvii) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखे गए आपराधिक कैदियों के मामलों की समय-समय पर समीक्षा तथा उन मामलों की समीक्षा जहाँ जेल में रहने की अवधि अपराध के लिए अधिक सजा के 25 आधे से अधिक हो चुकी है; (xxviii) कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करना; (xxix) कारागार के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, व्यवहार, सजा तथा अपील के संबंध में: कैदियों को पैरोल, फरलों तथा अवकाश प्रदान (xxx) 30 (xxxi) कैदियों के अस्थायी मुक्ति, सजा का निलम्बन तथा छूट प्रदान करना; (xxxii) सामान्यतः इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए: 35 इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के पश्चात तुरन्त दिल्ली विधानसभा के सामने सत्र के अन्तर्गत होने पर कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए जो एक सत्र या दो या अधिक बाद वाले सत्रों की हो सकती 4C है तथा यदि सत्र के अवसान के पश्चात् अगले सत्र में या उक्त अगले सत्रों में सदन नियम में कोई संशोधन करना चाहता है या सदन सहमत है कि नियम बनाया

(xix)

		रिथिति हो; यह संशोधन या निष्प्रभावीकरण उस नियम	
A N		के अधीन पीछे किए गए किसी कार्य की वैधता पर	
		प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा;	5
नियमावली की प्रतियों	72.	धारा के 71 के अधीन नियमावली की प्रतियाँ, जहाँ	
का प्रदर्शन।		तक ये कैदियों के प्रशासन को प्रभावित करती है,	
		अंग्रेजी तथा दिल्ली की राजकीय भाषा में ऐसे स्थान	20
9		पर लगाई जायेगी जहाँ सभी कार्य करने वाले तथा	
		कारागार के कैदी पढ़ सकते हैं।	10
आपदा तथा बचाव।	73. (1)	कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का IX) का दिल्ली	10
		पर लागू होना निरस्त किया जाता है;	
	(2)	उप धारा (1) में कारागार अधिनियम, 1894 के निरस्त	
n .	(-)	होते हुए भी कारागार अधिनियम, 1894, के अधीन	
		बनाए गए दिल्ली में कारागार प्रशासन संबंधी सभी	1.5
		नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएँ इस	15
		अधिनियम से तुरन्त पहले, जहाँ तक वे इस	
		अधिनियम के विपरीत या विरोध में नहीं है, लागू	
· ·		रहेंगी जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए	W
,		नियमों से इन्हें परिवर्तित, संशोधित या निरस्त नहीं	20
		किया जाता।	20
कठिनाईयों को हटाने	74. (1)	यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी	
की शक्ति।		बनाने में कोई काठनाई आती है तो सरकार राजपत्र	
		में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है	
Aces to a constant		या ऐसे उपाय कर सकती है जो इन कठिनाईयों को	25
2) 		हटाने के लिए उपयुक्त तथा आवश्यक समझे जायें	23
		तथा इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में न हों।	88
		बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से	
		तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा कोई	
		आदेश नहीं किया जायेगा;	30
	(2)	सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश कर	30
	(-)	सकती है परन्तु यह आदेश इस अधिनियम के लागू	
		होने की तिथि से पहले नहीं होना चाहिए:	
	. (3)	उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आदेश	
		इसके बनाए जाने के पश्चात दिल्ली विधान सभा के	35
		सामने रखा जायेगा।	
		212/01 00/100	
		∛ रोशान लाल ४.	s
		अवर सच्चि रिविधि एवं न्यास्टर्शे(L.&J.)	
± e		Under Sected 1. Govt. of Delhi. Govt. of Judl. Deptt.)	
		Law Sachivalaya,	
		New Delhi.	

नहीं जाना चाहिए तो इसके पश्चात् नियम केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा, या नहीं होगा, जैसी भी